निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ 1945 (श0)

संख्या 24 पटना, बुधवार,

14 जून 2023 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1– नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-11**
भाग-1-क–स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख–मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2–बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**12-12**
भाग-3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4–बिहार अधिनियम	---
भाग-5–बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7–संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8–भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9–विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**13-51**
पूरक	---
पूरक-क	**52-53**

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

सामान्य प्रशासन विभाग

———

अधिसूचनाएं

19 अप्रील 2023

सं0 1/पी–1001/2023–सा0प्र0–7491——श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0 (2010), संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं0 1/पी–1001/2023–सा0प्र0–7492——श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, भा0प्र0से0 (2010), सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

24 अप्रील 2023

सं0 1/पी–1003/2022–सा0प्र0–7817——महानिदेशक, बिपार्ड, पटना से प्राप्त अनुरोध के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके द्वारा धारित वर्तमान पद / प्रभार के अतिरिक्त उन्हें उनके नाम के सामने अंकित संस्थान का अपर महानिदेशक अधिसूचित किया जाता है:–

क्र.	पदाधिकारी का नाम/बैच एवं वर्तमान धारित पद/ प्रभार	सम्बद्ध संस्थान का नाम जिसके लिए अपर महानिदेशक अधिसूचित किया गया है
1	श्री मयंक वरवड़े, भा0प्र0से0 (2001), आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया (अतिरिक्त प्रभार –विशेष कार्य पदाधिकारी, बिपार्ड,गया)	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), गया
2	श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0 (2007), सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– विशेष कार्य पदाधिकारी, बिपार्ड, पटना/निबंधन महानिरीक्षक–सह–उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना)	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड), पटना

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

25 अप्रील 2023

सं0 1/अ0प्र0–1001/2022–सा0प्र0–7925——सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1/अ0प्र0–1001/2022–सा0प्र0–7924 दिनांक 25.04.2023 द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 08.05.2023 से 02.06.2023 तक भा0प्र0से0 पदाधिकारियों के लिए प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण–IV में भाग लेने हेतु प्रदत्त अनुमति के आलोक में उक्त अनुमति से सम्बद्ध पदाधिकारियों के स्तर से धारित पद/प्रभार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था निम्नवत् की जाती है:–

क्र.	प्रशिक्षण के नामित पदाधिकारी का नाम एवं बैच	प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारियों द्वारा धारित पद/प्रभार	प्रशिक्षण से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ–03 के पदों के प्रभार के संबंध में व्यवस्था
1	2	3	4
1	श्री संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी (2006)	सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना)	संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक व्यवस्था की जाएगी।
2	श्री जय सिंह (2007)	सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप)	संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक व्यवस्था की जाएगी।

3	श्री प्रणव कुमार (2008)	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार–बंदोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर)	उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर।
4	श्री गिरिवर दयाल सिंह (2008)	ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।	संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक व्यवस्था की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

27 अप्रील 2023

सं0 1/अ0–1008/2023–सा0प्र0–8132——श्री वैभव श्रीवास्तव, भा0प्र0से0 (बी एच:2018),उप विकास आयुक्त, नालन्दा को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के तहत दिनांक – 01.05.2023 से 20.05.2023 तक कुल 20 (बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साथ ही, आलोच्य अवकाश के दौरान वैयक्तिक व्यय पर इंडोनेशिया की निजी विदेश यात्राा हेतु दिनांक –10.05.2023 से 18.05.2023 तक कुल 09 दिनों के लिए एक्स–इंडिया लीव की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

2. श्री वैभव श्रीवास्तव की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री तरनजोत सिंह, भा0प्र0से0 (2017), नगर आयुक्त, नालन्दा, बिहारशरीफ उन्हें प्रदत्त दायित्वों/कार्यो के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त, नालन्दा के भी प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

2 मई 2023

सं0 1/अ0–21/2009–सा0प्र0– 8345——श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा0प्र0से0 (बी एच:2007), सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–अपर महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड),पटना/निबंधन महानिरीक्षक–सह–उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–5, 10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक 16 अप्रैल, 2023 के सार्वजनिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री–फिक्स) के रूप में एवं दिनांक 14 मई, 2023 के सार्वजनिक अवकाश का पश्च लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 17.04.2023 से 13.05.2023 तक कुल 27 (सताईस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री गुंजियाल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के प्रभार हेतु संबंधित विभाग/संस्थान द्वारा की गई आंतरिक व्यवस्था मान्य होंगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

———

2 मई 2023

सं0 1/अ0–1011/2020–सा0प्र0–8346——श्री समीर सौरभ, भा0प्र0से0 (बी एचः 2019), उप विकास आयुक्त, मोतिहारी सदर, मोतिहारी को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 08.05.2023 से 16.05.2023 तक कुल 09(नौ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री सौरभ की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के अतिरिक्त प्रभार में निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मोतिहारी रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

———

2 मई 2023

सं0 1/अ0–1009/2023–सा0प्र0–8347——श्रीमती गुंजन सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच:2020), अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 02.05.2023 से 20.05.2023 तक कुल 19 (उन्नीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साथ ही, आलोच्य अवकाश के दौरान वैयक्तिक व्यय पर इंडोनेशिया की निजी विदेश यात्राा हेतु दिनांक 10.05.2023 से 18.05.2023 तक कुल 09 (नौ) दिनों के लिए एक्स–इंडिया लीव की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

———

8 मई 2023

सं0 1/पी–2001/2021–सा0प्र0–8609——श्री बालामुरूगन डी0, भा0प्र0से0(बी एच:2005), सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– अध्यक्ष, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना) की केन्द्र सरकार के अधीन संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप, वर्तमान धारित पद/प्रभार का त्याग किए जाने की तिथि से उन्हें नवपदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

2. आलोच्य विरमन के आलोक में श्री बालामुरूगन डी0, भा0प्र0से0 (बी एचः2005) के स्तर से धारित संदर्भित पदों के प्रभार हेतु संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा आंतरिक व्यवस्था की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

---

11 मई 2023

सं0 1/अ0–1025/2013–सा0प्र0–**8975**——श्रीमती सीमा त्रिपाठी, भा0प्र0से0, (बी एचः 2009), विशेष सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम–5,10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 13–14 मई, 2023 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाश का पूर्व लग्न (प्री–फिक्स) के रुप में तथा दिनांक 17–18 जून, 2023 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाश का पश्च लग्न(सफिक्स) के रुप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 15.05.2023 से 16.06.2023 तक कुल 33 (तैतीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती त्रिपाठी की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक रुप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

---

12 मई 2023

सं0 1/एल0–015/2000–सा0प्र0–**9070**——श्रीमती (डॉ0) सफीना ए0एन0, भा0प्र0से0, (बी एचः 1997), प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार– जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग) को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम–18(डी) के तहत दिनांक 15.05.2023 से 14.06.2023 तक कुल–31 (इकतीस) दिनों के शिशु देखभाल छुट्टी (बिपसक ब्तम स्मंअम) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

13 मई 2023

सं0 1/पी–1002/2023–सा0प्र0–9071——श्री विनय कुमार, भा0प्र0से0 (1999), सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना) अगले आदेश तक सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

13 मई 2023

सं0 1/पी–1001/2023–सा0प्र0–9072——श्री रवि भूषण, भा0प्र0से0(2010), संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

---

15 मई 2023

सं0 1/अ0प्र0–1001/2020–सा0प्र0–9121——सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–1/अ0प्र0–1001/2020–सा0प्र0–9120 दिनांक 15.05.2023 द्वारा प्रदत्त अनुमति के आलोक में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दिनांक 22.05.2023 से 16.06.2023 तक संचालित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण–III में भाग लेने वाले निम्नांकित पदाधिकारियों द्वारा धारित पदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अग्ररूपेण की जाती हैः–

क्रम सं.	प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारी एवं पदनाम जिनके लिए प्रभार की संदर्भित व्यवस्था की गयी है	प्रशिक्षण से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ–02 के पदों के प्रभार के संबंध में व्यवस्था
1	2	3
1.	श्री श्रीकान्त शास्त्री, भा0प्र0से0 (2012), जिला पदाधिकारी, किशनगंज।	जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा निर्गत किया जायेगा।
2.	श्री नवल किशोर चौधरी, भा0प्र0से0 (2013), जिला पदाधिकारी, गोपालगंज।	जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा निर्गत किया जायेगा।
3.	श्री सुब्रत कुमार सेन, भा0प्र0से0 (2013), जिला पदाधिकारी, भागलपुर।	जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा निर्गत किया जायेगा।

4.	श्री धर्मेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0 (2013), जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम।	जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा निर्गत किया जायेगा।
5	श्री नवदीप शुक्ला, भा0प्र0से0 (2013), निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।
6	सुश्री रंजिता, भा0प्र0से0 (2013), श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग।	श्रम संसाधन विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।
7	श्री आनंद शर्मा, भा0प्र0से0 (2013), निदेशक,पंचायती राज, बिहार, पटना।	पंचायती राज विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।
8	श्रीमती उदिता सिंह, भा0प्र0से0 (2014), जिला पदाधिकारी, नवादा।	जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा निर्गत किया जायेगा।
9	श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा0प्र0से0 (2014), अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।	वित्त विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जायेगी।
10	श्री शशांक शुभंकर, भा0प्र0से0 (2014), जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहारशरीफ।	जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, नालन्दा बिहारशरीफ द्वारा निर्गत किया जायेगा।
11	श्रीमती जे0 प्रियदर्शिनी, भा0प्र0से0, (2015), जिला पदाधिकारी, शेखपुरा।	जिला के अपर समाहर्त्ता अथवा उप विकास आयुक्त (जो वरीय हों) प्रभार में रहेंगे। तत्संबंधी आदेश जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा निर्गत किया जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

---

16 मई 2023

सं0 1/अ0–1010/2023–सा0प्र0–9255––श्री तुषार सिंगला, भा0प्र0से0 (बी एच:2015), संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के तहत दिनांक–31.05.2023 से 20.06.2023 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति के साथ छुट्टी की उक्त अवधि में वैयक्तिक व्यय पर यूरोप (स्विट्जरलैंड एवं इटली आदि) की निजी विदेश यात्रा हेतु एक्स–इंडिया लीव की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. श्री तुषार सिंगला की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्व हेतु प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग (वित्त विभाग) द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

---

24 मई 2023

सं0 1/सी0–03/2012(खण्ड)–सा0प्र0–9637––श्री वीरेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0(2005) (दिनांक 30.06.2018 को सेवानिवृत्त) की भा0प्र0से0 की सेवा को सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय आदेश संख्या–1/सी0–1002/2020 –सा0प्र0–8023 दिनांक 26.04.2023 द्वारा सम्पुष्ट किए जाने के आलोक में उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान –लेवल–12–रु.78,800–2,09,200/–) में दिनांक 21.01.2016 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

---

25 मई 2023

सं0 1/अ0–09/2010–सा0प्र0–9808––श्री जय सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच:2007), सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–निदेशक,भू –अभिलेख एवं परिमाप) को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 30.05.2023 से 16.06.2023 तक कुल 18 (अठारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

---

25 मई 2023

सं0 1/अ0–13/2012–सा0प्र0–9809––श्री कंवल तनुज, भा0प्र0से0 (बी एच:2010), विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–5,10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 20–21 मई, 2023 के

सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्री–फिक्स) के रूप में तथा दिनांक 17–18 जून, 2023 के सार्वजनिक/ साप्ताहिक अवकाशों का पश्च् लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 22.05.2023 से 16.06.2023 तक कुल 26 (छब्बीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री तनुज की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

---

25 मई 2023

सं0 1/अ0–1011/2023–सा0प्र0–9810——श्री कृष्ण कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः2017), संयुक्त सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 26.04.2023 से 25.05.2023 तक कुल 30 (तीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

---

29 मई 2023

सं0 1/एल0–015/2000–सा0प्र0–10032——श्रीमती (डॉ0) सफीना ए0 एन0, भा0प्र0से0, (बी एचः1997), प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार–जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को विभागीय अधिसूचना संख्या–1/एल0–015/2000–सा0प्र0–9070 दिनांक 12.05.2023 द्वारा दिनांक 15.05.2023 से 14.06.2023 तक कुल 31(इकतीस) दिनों की शिशु देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदत्त है।

2. श्रीमती (डॉ0) सफीना ए0एन0 की आलोच्य अनुपस्थिति तक उनके द्वारा धारित पद (प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग) के अतिरिक्त प्रभार में मो0 सोहैल, भा0प्र0से0 (2007), सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

---

29 मई 2023

सं0 1/एल0–28/2001–सा0प्र0–10103——श्री संतोष कुमार मल्ल, भा0प्र0से0 (बी एचः1997), प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (बेल्ट्रॉन)/जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग/स्थानिक आयुक्त का कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली में विशेष कार्य पदाधिकारी) को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–5,10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 03–04 जून, 2023 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्री–फिक्स) के रूप में तथा दिनांक 10–11 जून, 2023 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाशों का पश्च् लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 05.06.2023 से 09.06.2023 तक कुल 05(पाँच) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री मल्ल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों/दायित्वों के लिए प्रभार की व्यवस्था संबंधित विभागों द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

---

30 मई 2023

सं0 1/अ0–22/09–सा0प्र0–10120——श्री अभय कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (बी एचः2004), सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार– प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–5,10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 24–25 जून, 2023 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्री–फिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 26.06.2023 से 05.07.2023 तक कुल 10(दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. आलोच्य अनुपस्थिति से आच्छादित अवधि के प्रभार के लिए श्री सिंह द्वारा स्थानीय व्यवस्था की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल, विशेष सचिव।

---

1 जून 2023

सं0 1/अ0–07/2011–सा0प्र0–10338——श्रीमती रचना पाटिल, भा0प्र0से0 (बी एचः 2010), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली–1955 के नियम–5, 10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 03.06.2023 एवं 04.06.2023 के सार्वजनिक/साप्ताहिक अवकाशों का पूर्व लग्न (प्री–फिक्स) के रूप में तथा दिनांक 10.06.2023 और 11.06.2023 के सार्वजनिक/ साप्ताहिक अवकाशों का पश्च् लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग की अनुमति के साथ दिनांक 05.06.2023 से 09.06.2023 तक कुल 05 (पाँच) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती पाटिल की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए प्रभार की व्यवस्था विभाग द्वारा आंतरिक रूप से की जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जगदीश कुमार, उप–सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं
18 मई 2023

सं0 01/रा०स्था०स्थाना०/पदस्थापन–11/2020 सह०/1272––श्रीमती ऋचा कमल, उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन, पटना के State Manager (HR & Admin) के पद पर तत्काल प्रभाव से कार्यभारित किया जाता है।

2. एतद संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
नन्द किशोर, विशेष सचिव।

---

19 मई 2023

सं0 01/रा०स्था०(उपा0 अव0)–33/2023 सह०/1286––वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1003(22) दिनांक–05.04.2023 के आलोक में सुश्री स्वप्निल, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, सिवान (अतिरिक्त प्रभार–जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स०स०, सारण, छपरा) को स्वयं की विवाह हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानानुसार दिनांक–20.05.2023 से 20.06.2023 तक कुल 32 (बत्तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त स्वीकृति के पश्चात् 93 (तिरानवें) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप–सचिव।

---

30 मई 2023

सं0 01/रा०स्था०(निजी)–30/2022 सह०/1392––बिहार सेवा सहिता के नियम 220 एवं वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या–640 दिनांक–19.01.2015 में वर्णित प्रावधानानुसार श्रीमती वैशाली चौधरी, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, कटिहार (अतिरिक्त प्रभार–जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स0स0, पूर्णियाँ एवं प्रबंध निदेशक दि कटिहार डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, कटिहार) को प्रथम संतान के जन्म हेतु दिनांक–05.06.2023 से 01.12.2023 तक कुल 180 दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमे सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप–सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना
8 जून 2023

सं0 7/सी0सी0ए0–1024/2001(खंड–II)गृ0आ0–6980––बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) के अध्याय–2 की धारा–12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा–12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या–**3344 दिनांक–13.03.2023** के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात दिनांक **01.07.2023 से 30.09.2023** (एक जुलाई दो हजार तेईस से तीस सितम्बर दो हजार तेईस) तक प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

पत्र सं0–8/पी.3–10–04/2021 गृ0आ0––6970

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

———————

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 8 जून 2023

विषय :– आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली (Emergency Response Support System (ERSS) Dial-112 के प्रथम चरण हेतु पुलिस सवंर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1509, दिनांक 01.02.2023 की कंडिका–6 के प्रथम भाग में अंकित विपत्र कोड 22–2055001140001 के स्थान पर वितंतु संगठन का विपत्र कोड 22–2055001140003 संशोधित किया जाता है।

2. उक्त स्वीकृत्यादेश के शेष अंश यथावत रहेंगे।

3. उक्त में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश से,

गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

———————

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

———————

अधिसूचनाएं

19 मई 2023

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)–1–27/2019–2617––सुश्री अपर्णा शिवा, तत्का0 अवर निबंधक, दानापुर (पटना) सम्प्रति अवर निबंधक, हवेली, खड़गपुर (मुंगेर) के विरूद्ध श्री इम्तेयाज अहमद खान, पिता–नइमउल्लाह खान, जुनैदपुर, थाना–दानापुर, जिला पटना से प्राप्त परिवाद पत्र जिसमें मो0 इकबाल अहमद खान, पिता–स्व0 मो0 नइमउल्लाह खान, जुनैदपुर, थाना–दानापुर, जिला– पटना ने उनके पक्ष में एक वसियतनामा दस्तावेज घर पर आकर निबंधित करने का अनुरोध किया था, जिसका निष्पादन नहीं किया गया, जबकि घर पर आकर निबंधन करने का फीस J (I) का भुगतान E-Stamp के माध्यम से दिनांक 04.02.2019 को कर दिया गया था। जॉचोपरान्त पाया गया है कि कमीशन बही पर उक्त तिथि को प्राप्त संबंधित कमीशन के आवेदन की प्रविष्टि भी नहीं की गयी है।

एक अन्य परिवादी श्री रामगुलाम यादव द्वारा (i) दस्तावेजों को लंबित रखकर निबंधन करना (ii) स्थल निरीक्षण के नाम पर शोषण करना (iii) दस्तावेजों का परिदान नहीं करना (iv) दस्तावेजों पर निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं करना (v) आम जनता से अमानवीय व्यवहार करना (vi) मनमाने तरीके से दस्तावेजों का निबंधन करना आदि का आरोप लगाया गया था, इसकी जॉच विभाग स्तर पर गठित त्रिसदस्यीय समिति से करायी गयी। त्रिसदस्यीय समिति द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि की गयी है तथा दस्तावेज सं0–2134/2019 एवं 2147/2019 के निबंधन में रू. 1,16,644/– (एक लाख सोलह हजार छः सौ चौवालीस) रूपये की राजस्व क्षति प्रतिवेदित की गयी। दस्तावेज के निबंधन में निबंधन अधिनियम 1908 एवं बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2008 तथा विभागीय निदेशो का पालन नहीं किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होने के कारण विभागीय संकल्प सं0–2505 दिनांक 26.07.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी है।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधन महानिरीक्षक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक–38 दिनांक 21.01.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप सं0–1, आरोप सं0–2 (v) एवं (vi) में वर्णित आरोप प्रमाणित तथा आरोप सं0–2 (i),(ii) तथा (iii) में आंषिक प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान प्राप्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन पर आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय बचाव वयान संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण सुश्री अपर्णा शिवा, तत्का0 अवर निबंधक, दानापुर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0–3785 दिनांक 28.07.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (vi) के तहत् 03 (तीन) वार्षिक वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया गया है।

4. विभागीय अधिसूचना सं0–3785 दिनांक 28.07.2022 द्वारा संसूचित दंडादेश पर सुश्री अपर्णा शिवा द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24(2) के अधीन पुनर्विलोकन अर्जी दायर किया गया है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24(2) के अनुसार सरकार के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी हालांकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकेगी।

5. सुश्री अपर्णा शिवा से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी पर दिनांक 08.05.2023 को अपर मुख्य सचिव द्वारा सुनवाई की गयी। त्रिसदस्यीय समिति के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 11.01.2021 में प्रतिवेदित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त समय यह बताया गया कि कमिशन का आवेदन प्राप्त नही है किन्तु अभिलेखों की जॉच में आवेदन दिनांक 04.02.2019 को प्राप्त होने, कार्यालय अभिलेख संख्या–73 / 04.02.2019 के रूप में संधारित होने और आर0टी0पी0एस0 के क्रमांक–82 के रूप में दर्ज होने के प्रमाण पाये गये। कमिशन रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं पाया गया। सुश्री अपर्णा शिवा ने अपने पुनर्विलोकन अर्जी में यह स्वीकार किया गया है कि कमिशन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 04.02.2019 को प्राप्त हुई थी, जिसपर उनके द्वारा लघु हस्ताक्षर किया गया था। उनका तर्क यह है कि कमिशन रजिस्टर में इसकी प्रविष्टि कर कार्यालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण निष्पादन नहीं किया जा सका। इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि उन्हें आवेदन की जानकारी थी, किन्तु उसके निष्पादन में उनके तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। कार्यालय प्रधान होने के नाते यह उनका दायित्व था कि लंबित कार्यो की समीक्षा कर संबंधित कर्मी को समुचित निदेश देते। कमिशन के आवेदन पत्र लंबित रहने के लिए उनके द्वारा कार्यालय कर्मी के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करना स्पष्ट करता है कि संज्ञान में रहने के बावजूद वे निष्पादन के इच्छुक नही थे और जान बूझकर लंबित रखा गया।

श्री राम गुलाम यादव के परिवाद से संबंधित आरोपो के संबंध में आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि विभागीय त्रिसदस्यीय समिति द्वारा अपने जॉच के क्रम में दिनांक 10.05.2019 को दिये गये मौखिक निर्देश की शहरी एवं पेरीफेरल क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेजों का निबंधन स्थल निरीक्षण के उपरांत ही किया जाय, का अनुपालन किया जाता रहा है। जॉच दल का यह भी मंतव्य था कि निबंधन नियमावली में वर्ष 2013 में संशोधन के उपरांत निबंधित दस्तावेजों को 47A के तहत Refer नहीं किया जा सकता। अतः इस आधार पर दस्तावेजों में अन्तर्निमित मूल्य की जॉच कर नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की जॉच कर आवश्यकतानुसार इसे प्रेषित (Refer) करने के कारण ही दस्तावेजों के निबंधन में समय लगता था।

संयुक्त जॉच दल द्वारा दिनांक 24.05.2019 को किये गये जॉच में यह प्रतिवेदित किया गया है कि काफी संख्या में बिना किसी उचित कारण के अनिबंधित दस्तावेज रखे गये हैं, जिसकी प्रविष्टि पेंडिंग बही में नही थी। स्थल जॉच की पारदर्शी व्यवस्था नही थी, पक्षकार द्वारा सम्पर्क किये जाने पर जॉच होती थी। निंबधन के उपरांत धारा–52 के तहत रसीद पक्षकार को नही दिया जाता था। अमानवीय व्यवहार और दस्तावेजों का अनियमित निबंधन की पुष्टि हुई साथ–साथ दस्तावेज संख्या–2134 एवं 2147 वर्ष 2019 के निबंधन में 1,16,644 / –रू0 राजस्व क्षति पायी गयी। इन तथ्यों का खंडन आरोपी पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के क्रम में नही किया गया। अतएव सुश्री अपर्णा शिवा, तत्कालीन अवर निबंधक, दानापुर सम्प्रति अवर निबंधक, हवेली खड़गपुर के विरुद्ध विभागीय अधिूसचना सं0–3785 दिनांक 28.07.2022 द्वारा अधिरोपित दंडादेश को बरकरार रखने का निर्णय लिया गया।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
निरंजन कुमार, उप–सचिव।

——————

29 मई 2023

सं0 8 / आ0 (राज0 नि0)–1–100 / 2022–2776––श्रीमती रामयती कुमारी, पति–श्री सूर्य कुमार सिंह, ग्राम+पो0–बरहोग, थाना–बिन्द, जिला–नालन्दा के द्वारा दिनांक–11.04.2017 को आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना में बैंक चालान के माध्यम से जमा स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क की वापसी हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया। उक्त आवेदन के आलोक में आयुक्त कार्यालय के पत्रांक–291 दिनांक–28.04.2017 द्वारा जिला अवर निबंधक, नालन्दा से सत्यापन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में मांग की गयी। पुनः आयुक्त कार्यालय के पत्रांक–830 दिनांक–27.09.2018 द्वारा जिला अवर निबंधक, नालन्दा को उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया। इसी बीच आवेदिका द्वारा स्टाम्प की वापसी हेतु सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–9120 / 2021 मा0 उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक– 04.02.2022 को मा0 उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्न आदेष पारित किया गया हैः–

"We dispose off the writ petition with a direction that in case any such application is pending, the Commissioner, Patna Division shall decide the same at the earliest by way of a speaking order, in any case not later than three weeks from today. In case, any amount is found due, the same shall be released to the petitioners forthwith."

उक्त न्यायादेश के आलोक में आयुक्त कार्यालय के पत्रांक– 247 दिनांक–30.03.2022 द्वारा जिला अवर निबंधक, नालन्दा से सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला अवर निबंधक, नालन्दा के पत्रांक–369 दिनांक–30.05.2022 द्वारा सत्यापन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती रामयती कुमारी, पति–श्री सूर्य कुमार सिंह, ग्राम+पो0–बरहोग, थाना–बिन्द, जिला–नालन्दा के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बिहारशरीफ में स्टाम्प एवं अन्य शुल्क में जमा की गयी राशि मो0–1,21,598 / – (एक लाख इक्कीस हजार पॉच सौ अन्ठानवे रुपये) का उपयोग

जिला निबंधन कार्यालय, नालन्दा में टोकन सं0–8958, दस्तावेज सं0–8662 दिनांक–18.09.2017 द्वारा निबंधन में उपयोग किया जा चुका है, जबकि आवेदिका ने उक्त चालान की राशि का उपयोग नहीं किये जाने की दावा की गयी थी।

2. विभागीय पत्रांक–5148 दिनांक–29.09.2022 एवं 1122 दिनांक–24.02.2023 द्वारा आयुक्त पटना प्रमंडल, पटना के पत्र की प्रति संलग्न करते हुए श्री पंकज कुमार झा, जिला अवर निबंधक, नालन्दा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। जिला अवर निबंधक, नालन्दा के पत्रांक–192 दिनांक–10.03.2023 द्वारा स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया है। जिला अवर निबंधक, नालन्दा द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि पक्षकार श्रीमती रामयती कुमारी द्वारा एक ही दस्तावेज के निबंधन हेतु दो चालान जमा किया गया था, जिसमें से एक चालान वर्ष 2016 का मैनुअल चालान था, जिसके रिफण्ड हेतु आवेदन दिया गया एवं दूसरा ई–चालान था, जिसके आधार पर दस्तावेज का निबंधन हुआ। प्रथम जॉच के क्रम में दस्तावेज के निबंधन में पक्षकार का नाम एक ही होने के आधार पर ही प्रतिवेदन भेज दिया गया परन्तु मामला संज्ञान में आते ही पुनः जॉच कर सही प्रतिवेदन भेजा गया।

3. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना ने आवेदिका की दावा की पुनरावृति के आधार पर जिला अवर निबंधक को पुनः प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में जिला अवर निबंधक ने अपने पत्रांक–369 दिनांक–30.05. 2022 के द्वारा पूर्व के प्रतिवेदन के विपरीत दावा की राषि 1,21,598/– (एक लाख इक्कीस हजार पॉच सौ अंठानवे रुपये) का किसी भी दस्तावेज के निबंधन में उपयोग नहीं किया जाना स्वीकार किया गया। जिला अवर निबंधक ने वापसी की दावा से संबंधित चालान की राशि 1,21,598/– (एक लाख इक्कीस हजार पॉच सौ अंठानवे रुपये) और निबंधन में उपयोग किये गये चालान की राशि मो0– 90,800/– (नब्बे हजार आठ सौ रुपये) की गहनता से जॉच नहीं कर सतही तौर पर प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिससे प्रमंडलीय आयुक्त को न्यायादेश के कार्यान्वयन हेतु निर्णय लेने में असहज स्थिति की सामना करना पड़ा और आवेदिका को भी परेशान होना पड़ा। यह जिला अवर निबंधक का कार्य के प्रति घोर लापरवाही को प्रमाणित करता है।

अतः प्रमंडलीय आयुक्त का आदेश ज्ञापांक–645 दिनांक–30.08.2022 एवं उक्त के प्रसंग में श्री पंकज कुमार झा, जिला अवर निबंधक, नालन्दा के स्पष्टीकरण पर सम्यक् विचारोपरांत स्पष्टीकरण अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(v) के अन्तर्गत 03 (तीन) वार्षिक वेतनवृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
निरंजन कुमार, उप–सचिव।

––––––

2 जून 2023

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)–1–90/2021–2894–—श्री अरविन्द कुमार यादव, अवर निबंधक, पीरो (भोजपुर) के विरूद्ध श्री विजय कुशवाहा, धोबी घटवा, पीरो द्वारा दस्तावेज के निबंधन में राजस्व क्षति के संबंध में परिवाद पत्र दिया गया है। परिवाद पत्र की जॉच सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमंडल, पटना से करायी गयी है, जिसमें दस्तावेज सं0–(1) 4913/17 (2) 4911/19 (3) 4912/19 (4) 4204/19 (5) 1372/20 (6) 1537/19 एवं (7) 1621/20 के निबंधन में कुल रू0 6,64,592/– (छः लाख चौसठ हजार पॉच सौ वानवे रूपये) राजस्व क्षति प्रतिवेदित किया गया। श्री यादव का आचरण विभागीय अधिनियमों/नियमों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के प्रावधानों के प्रतिकूल आदि आरोप में विभागीय संकल्प सं0–4822 दिनांक–14.09.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–उप सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–195 दिनांक–09.01.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन विभाग में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप संख्या–1 को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 के तहत् संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक–383 दिनांक 19.01.2023 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी।

4. श्री अरविन्द कुमार यादव, अवर निबंधक, पीरो (भोजपुर) के पत्रांक–13 दिनांक– 03.02.2022 द्वारा अपना बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया है। श्री यादव द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए लगाये गये आरोपों से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

5. श्री अरविन्द कुमार यादव, अवर निबंधक, पीरो (भोजपुर) द्वारा अपने द्वितीय बचाव वयान में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएव आरोपी पदाधिकारी का द्वितीय बचाव वयान अस्वीकार करते हुए संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय बचाव वयान के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (vi) के

तहत् 05 (पॉच) वार्षिक वेतनवृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने के प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–1781 दिनांक–05.04. 2023 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–736 दिनांक 23.05.2023 द्वारा दिनांक 12.05.2023 को आहूत आयोग की पूर्ण बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव में सहमति व्यक्त किया गया है। अतः श्री अरविन्द कुमार यादव, अवर निबंधक, पीरो (भोजपुर) के विरूद्ध बिहार सरकारी

सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 (vi) के तहत् 05 (पॉच) वार्षिक वेतन वृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
निरंजन कुमार, उप–सचिव।

———————

6 जून 2023

सं0 8/आ0 (मु0 राज0 उ0)–4–01/2023/2956–श्री केदार प्रसाद, तत्कालीन उपायुक्त उत्पाद (आ0भ0), बिहार, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध सी0डब्लू0जे0सी0संख्या–2101/2000 बिहार राज्य बनाम सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में दिनांक 02.12.2010 को पारित न्यायादेश के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में एस0एल0पी0 दायर करने में अकारण अप्रत्याशित विलंब करने के आरोप में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–43 (बी) के तहत विभागीय संकल्प सं0–1751 दिनांक–29.04.2014 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर विभागीय जॉच आयुक्त के जॉच प्रतिवेदन ज्ञापांक–315 दिनांक–27.07.2015 में दोनों आरोपों को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया था। संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के लिए आरोपी पदाधिकारी से द्वितीय बचाव वयान पर सम्यक विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0–4526 दिनांक–09.10.2015 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139(बी) के अधीन उनके पेंशन से 15 प्रतिशत कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री प्रसाद के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–18315/2015 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक 10.04.2023 को आदेश पारित कर दिया गया है। माननीय न्यायालय का आदेश निम्नलिखित है –

14. It is evident from the materials placed before this Court that neither the Enquiry Officer nor the disciplinary authority has considered the stand of the petitioner. Perhaps they were in hot haste and to this court it appears that any action taken by a public authority in haste goes a long way to show that the action was malafide. This Court, therefore, finds that Annexure '14/A' and Annexure '17' as also the consequential order of reduction of pension of the petitioner are highly arbitrary and those cannot sustain the test of law.

15. In result, the impugned orders as contained in Annexure '8', Annexure '14/A' and Annexure '17' are hereby quashed.

16. The petitioner has retired in the year 2012 and because of a completely unreasoned order he has been allowed to suffer and recoveries have been made from his pensionary benefits. This Court, therefore, directs the respondents to pay back the entire amount which have been recovered from the petitioner with interest @ 9% per annum from the date of deduction till the date of payment.

17. The petitioner would be entitled for the arrears of pension which have been reduced and paid at the reduced rate by virture of the impugned order. All consequential benefits shall follow.

18. This Writ application is allowed.

श्री केदार प्रसाद, तत्कालीन उपायुक्त उत्पाद (आ0भ0), बिहार, पटना के द्वारा जनवरी 2012 में एस0एल0पी0 का शपथ पत्र दाखिल किये जाने का उल्लेख मिलता है जिसका डायरी सं0–1923 दिनांक 16.01.2012 है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एस0एल0पी0 सं0–12471/12 में शपथ पत्र दायर करने में विलंब से दाखिल किये गये Delay Condonation Petition को Allow कर दिया गया था। तत्पश्चात दिनांक–22.11.2013 के आदेश के द्वारा एस0एल0पी0 को खारिज कर दिया गया है।

अतः सी0डब्लू0जे0सी0सं0–18315/2015 केदार प्रसाद बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 10.04.2023 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0–4526 दिनांक–09.10.2015 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम–139(बी) के अधीन उनके पेंशन से 15 प्रतिशत कटौती का अधिरोपित दण्डादेश को निरस्त किया जाता है।

02. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
निरंजन कुमार, उप–सचिव।

———————

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 13—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सामान्य प्रशासन विभाग

———

अधिसूचना
(शुद्धि पत्र)
13 अप्रील 2023

सं0 1/पी–1001/2023–सा0प्र0–7088––सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1/पी0–1001/2023–सा0प्र0–6690 दिनांक 08.04.2023 द्वारा श्री नन्द किशोर,भारतीय वन सेवा(2006), विशेष सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को प्रदत्त अतिरिक्त प्रभारों में से एक अतिरिक्त प्रभार का पदनाम 'प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड, पटना' के स्थान 'प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड, पटना' अंकित हो गया है।

2. अतएव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1/पी0–1001/2023–सा0प्र0–6690 दिनांक 08.04.2023 में अंकित पदनाम 'प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड, पटना' को 'प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड, पटना' पढ़ा जाए।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1/पी0–1001 /2023–सा0प्र0–6690 दिनांक 08.04.2023 की अन्य स्थितियाँ अपरिवर्तित रहेंगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 13—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्
विद्यापति मार्ग, पटना – 800001

————————

अधिसूचनाएं
28 मार्च 2022

सं0 5692——जमुई जिलान्तर्गत ग्राम+पो0+थाना–सिकन्दरा में स्थित **माँ जगदम्बा मन्दिर** एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास के रूप में पर्षद से निबंधित न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–3265/96 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना पत्रांक सं0–1639, दिनांक–26.08.2016 द्वारा 10 सदस्योंकी न्यास समिति का गठन 5 वर्षो के लिए किया गया था, जिसका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। जबकि न्यास समिति के सचिव श्री कृष्ण कुमार द्वारा त्याग–पत्र दिया जा चुका है।

इसी बीच न्यास समिति के उपाध्यक्ष श्री बाबु लाल यादव ने पर्षद में दिनांक–16.10.20221 को कुछ अपराधिक केश की छाया प्रति के साथ एक आवेदन दिया कि ''समिति के सदस्य श्री प्रकाश कुमार सिन्हा और एक सदस्य श्री रंजीत केशरी जो उपाध्यक्ष एवं सचिव की बात न सुनकर अपनी मनमानी करता है तथा अपने जान–पहचान वाले को समिति बनाना चाहता है और एक कुख्यात अपराधी गुड्डु यादव जिस पर 18 संगीन मुकदमें दर्ज है, को समिति का अध्यक्ष एवं स्वंय प्रकाश सिन्हा सचिव के पद से समिति बनाने का षडयंत्र रहा है, समिति का खाता वही रजिस्टर भी रख लिया है। जिस कारण स्थानीय श्रद्धालु में आक्रोश है।

उपाध्यक्ष ने पुनः दिनांक–22.10.2021 को मन्दिर में किये गये विकास की सूची के साथ एक आवेदन दिये कि मनमानी करने वाले सदस्य श्री प्रकाश कुमार सिन्हा एवं रंजीत कुमार केशरी को हटाते हुये समिति को अवधि विस्तार दिया।

उपरोक्त पत्रों के आलोक में अंचल पदाधिकारी से मंतव्य के साथ स्वच्छ छवि वाले, जिसका अपराधिक पृष्ठभूमि न हो का 11 सदस्यों के नाम–पता की माँग की गयी तथा सदस्य श्री प्रकाश सिन्हा एवं रण्जीत केशरी से भी अपराधी छवि वाले व्यक्ति को अध्यक्ष चुने जाने के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके संबंध में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया और न ही पर्षद मं निर्धारित सुनवायी दिनांक–25.02.22 को उपस्थित हुऐ।

दिनांक–25.02.22 को उपाध्यक्ष श्री बाबु लाल यादव ने उपस्थित होकर यह भी बतलाये कि प्रकाश कुमार सिन्हा, रण्जीत केशरी के मिली भगत से श्री अरूण कुमार मिश्र द्वारा मन्दिर की परिक्रमा स्थल को कब्जा कर रखा है। मन्दिर की आय को भी सही से नहीं दर्शाया जाता है। उपरोक्त परिस्थितिया स्पष्ट करती है, कि सदस्य श्री प्रकाश कुमार सिन्हा एवं श्री रण्जीत केशरी को समिति में रखना उचित नहीं है।

अतःपर्षद के आदेश दिनांक–25.02.22 के आलोक में इस न्यास की सुव्यवस्था एवं सही रख–रखाव हेतु पूर्व में गठित न्यास समिति को संशोधित करते हुये तथा अतिक्रमणकारी श्री अरूण कुमार मिश्र से परिक्रमा स्थल को खाली कराने की आवश्यकता को देखते हुये निम्न सदस्यों की न्यास समिति का गठन किया जाता है।

अतः मैं अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''**माँ जगदम्बा मन्दिर, ग्राम+पो0+थाना–सिकन्दरा, जिला–जमुई**'' की सम्पत्तियों की सुरक्षा संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण करता हूँ तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित का गठन करता हूँ।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**माँ जगदम्बा मन्दिर, ग्राम+पो0+थाना–सिकन्दरा, जिला–जमुई'' न्यास योजना**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिएगठित न्यास समिति का नाम ''**माँ जगदम्बा मन्दिर, ग्राम+पो0+थाना–सिकन्दरा, जिला–जमुई'' न्यास समिति,**'' होगी जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास समिति अविलंब मंदिर के नाम से **राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगी जिसका संचालन** कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष/सचिव में से कोई एक व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। यदि पूर्व से कोई बैंक खाता संचालित हो तो उपरोक्त निर्देशानुसार नाम स्थानांतरण करा सकते हैं।

4. न्यास समिति को यह भी निर्देश दिया जाता है कि **अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष के सहयोग से यदि कोई अतिक्रमण न्यास की जमीन पर हो तो, जमीन अतिक्रमण मुक्त कराये या उक्त जमीन पर व्यवसाय कर रहे व्यक्तियों से मासिक किराया निर्धारित करते हुए मासिक किराया वसुल** करें।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष **न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत एवं पर्षद शुल्क** आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमती से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

10. न्यास समिति के किसी भी सदस्य/सेवायतको न्यास की **अचल सम्पत्ति को बिक्री करने, बदलैन करने एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए किराया पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा जबतक कि लिखित रूप में इस संबंध में पूर्व सहमति पर्षद से प्राप्त नही कर ली जाय।** साथ ही न्यास समिति के सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति का गठन स्थायी रूप से 05 वर्षो के लिए किया जाता है :–

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, जमुई	–अध्यक्ष।
2. श्री बाबु लाल यादव, पिता–विशुनदेव यादव	– उपाध्यक्ष।
3. श्री सत्य नारायण मिश्र, पिता–स्व0 दरोगी मिश्र	–सचिव।
4. श्री ललन कुमार मिश्र, पिता–श्री नन्दकिशोर मिश्र	–कोषाध्यक्ष।
5. श्री राम विलास यादव, पिता–स्व0 शीतल यादव	–सदस्य।
6. श्री अनिल चौधरी, पिता–स्व0 शिव चौधरी	–सदस्य।
7. श्री लखन यादव, पिता– श्री शोधन यादव	–सदस्य।
8. श्री राज कुमार केशरी	–सदस्य।
9. श्री मुकेश सिंह	–सदस्य।

सभी का पता–ग्राम+पो0+थाना–सिकन्दरा, जिला–जमुई।

गठित न्यास समिति को निर्देश दिया जाता है, कि दुकानदारो से प्राप्त किराया तथा मन्दिर के दान–पात्र से प्राप्त राशि को मन्दिर के नाम से बैंक के खाता में रख कर उसका संघारण, विवरण रजिस्टर में दर्ज करेगें तथा उसकी आय–व्यय एवं पर्षद शुल्क, पर्षद में ससमय जमा करेगें तथा शीघ्र उक्त ''परिक्रमा स्थल'' को खाली करवें ताकि श्रधालुओं को बाधा उत्पन्न न हावें।

नोट–(1) **न्यास समिति के पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति /भूमि का हस्तांतरण/बदलैन/विक्रय/लिज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति के दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगरवे ऐसा करते है तो वह शून्य वो अवैधहोगा।**

(2) **राजस्व अभिलेख में मंदिर की सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज का मंदिर में प्रतिष्ठित देवता श्री राम जानकी मंदिर के नाम पर ही रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामंतरण अथवा संशोधन नहीं होगा।**

विश्वासभाजन,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

———————

4 फरवरी 2023

सं0 3803––**श्री ठाकुरबाड़ी देवोत्तर, घसियारी टोला, बेगमपुर, पटना सिटी, पटना,** बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इसकी निबंधन सं0– 4650/22 है।

स्थानीय जनता ने एक आम सभा कर न्यास समिति के संबंध में दिनांक– 31/08/2022 को ग्यारह सदस्यों का चयन कर मंदिर और उसकी भूमि की सुरक्षा तथा अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु प्रस्ताव पर्षद को भेजा। पर्षद ने संबंधित थाना से चरित्र–सत्यापन की मांग की। अंचलाधिकारी से भी न्यास समिति गठन हेतु प्रस्तात की मांग की गयी, परंतु कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ। स्थानीय लोगों का कथन है कि न्यास समिति का गठन शीघ्र किया जाय, क्योंकि मंदिर के आस–पास की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है। म्यूनिसिपल प्लॉट– 943, हो० सं०– 125 में दखलकार के रूप में श्री ठाकुरबाड़ी देवोत्तर, मैनेजर गोपाल प्रसाद जी का उल्लेख है, जिसमें कुल एरिया– 70 कड़ी अंकित है।

स्थानीय लोगों द्वारा जो प्रस्तावित नाम था, उनका चरित्र–सत्यापन, वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रार्थना–पत्र देकर प्राप्त किया गया है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई थाना कांड संख्या विचाराधीन होने का उल्लेख नहीं है।

उपरोक्त परिस्थिति में स्थानीय लोगों द्वारा प्रस्तावित नामों की न्यास समिति गठित करने तथा मंदिर की व्यवस्था, प्रबंधन हेतु एक योजना का निरूपण करने का निर्णय लिया गया।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 05/01/2023 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री ठाकुरबाड़ी देवोत्तर, घसियारी टोला, बेगमपुर, पटना सिटी, पटना** के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री ठाकुरबाड़ी देवोत्तर न्यास योजना, घसियारी टोला, बेगमपुर, पटना सिटी, पटना**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री ठाकुरबाड़ी देवोत्तर न्यास समिति, घसियारी टोला, बेगमपुर, पटना सिटी, पटना**'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों, धारा– 59, 60 एवं 70 का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हों, तो उनके दायित्वों का निर्वहन उपाध्यक्ष करेंगे।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मंदिर के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास / मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

18. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. श्री संतोष यादव पिता– स्व० सीताराम यादव, सुदर्शन पथ, घसियारी टोला, पो०–बेगमपुर, था०– चौक, पटना– अध्यक्ष

2. श्री कुणाल कौशल पिता– स्व० दिलीप चंद्र यादव, मच्छरहट्टा, चौधरी गली, था०– खाजेकलां, जिला– पटना– उपाध्यक्ष

3. श्री रंजीत कुमार पिता– श्री मनिंदर चौधरी, भिंडी बाजार अखाड़ा, था०– चौक, पटना– सचिव

4. श्री अजीत कु० यादव पिता– स्व० राजेन्द्र प्रसाद यादव, घसियारी टोला, था०– चौक, पटना–कोषाध्यक्ष

5. श्री राहुल कु० यादव पिता–राम एकबाल सिंह यादव, देवी स्थान, दुंदी बाजार, था०–चौक, पटना–सदस्य

6. श्री अशोक कुमार पिता–स्व० विश्वनाथ प्रसाद, घसियारी टोला, चौक शिकारपुर, था०–चौक, पटना–सदस्य

7. श्री उमाशंकर कुमार पिता– उमेश शुक्ल, घसियारी टोला, था०– चौक, पटना सिटी, पटना– सदस्य

8. श्री रामजीत महतो पिता– टेनी महतो, जीतु लाल लेन, घसियारी टोला, था०– चौक, पटना– सदस्य

9. श्री नरेश प्रसाद पिता– देवनंदन यादव, देवी स्थान, घसियारी टोला, था०– चौक, पटना– सदस्य

10. श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ चुन्नु, घसियारी टोला, था०– चौक, पटना– सदस्य

11. श्री संजीत कुमार चौधरी पिता– कामेश्वर चौधरी, फसाहत की मैदान, था०– चौक, पटना– सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में ''**श्री ठाकुरबाड़ी देवोत्तर, घसियारी टोला, बेगमपुर, पटना सिटी, पटना**'' के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन / विक्रय / पट्टा / लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

4 फरवरी 2023

सं0 3805––**श्री श्री ठाकुर गोपीनाथजी मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, महाराज घाट, पटना सिटी, पटना– 08,** बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इसकी निबंधन सं0– 749 है।

उक्त न्यास वार्ड सं०– 65, सर्किल– 142, एम०एस० प्लॉट– 195, 197, 189, क्षेत्रफल– 10 कट्ठा है। इस मंदिर की सुव्यवस्था हेतु न्यास समिति का गठन किया जाता रहा है। अंतिम बार न्यास समिति का गठन पर्षदीय पत्रांक– 1190, दिनांक– 10/07/2015 द्वारा किया गया था। उक्त न्यास समिति द्वारा जो विकास कार्य किया गया है, उसका विवरण न्यास समिति ने अपने पत्र दिनांक– 29/07/2022 में किया है। इस न्यास का स्थल निरीक्षण भी पर्षद द्वारा कराया गया है। चूंकि यह मंदिर पटना सिटी के व्यवसायी क्षेत्र में अवस्थित है, न्यास समिति द्वारा पुर्व गठित न्यास समिति में से कुछ नामों को संशोधित करते हुये बैठक दिनांक– 29/05/2022 द्वारा ग्यारह व्यक्तियों के नामों का चयन किया गया, जिनका चरित्र–सत्यापन हेतु पत्र लिखा जा चुका है, परंतु प्रतिवेदन अप्राप्त है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यास समिति के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आरोप–प्रत्यारोप नहीं लगाया गया है।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्तावित नामों की न्यास समिति अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए गठित करने का निर्णय लिया जाता है तथा मंदिर की व्यवस्था, प्रबंधन हेतु एक योजना का निरूपण करने का निर्णय लिया गया। चरित्र–सत्यापन प्राप्त होने स्थायी करने पर विचार किया जायेगा।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 05/01/2023 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री श्री ठाकुर गोपीनाथजी मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, महाराज घाट, पटना सिटी, पटना– 08** के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री श्री ठाकुर गोपीनाथजी मंदिर प्रबंधकारिणी समिति न्यास योजना, महाराज घाट, पटना सिटी, पटना– 08**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री श्री ठाकुर गोपीनाथजी मंदिर प्रबंधकारिणी न्यास समिति, महाराज घाट, पटना सिटी, पटना– 08**'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों, धारा– 59, 60 एवं 70 का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हों, तो उनके दायित्वों का निर्वहन उपाध्यक्ष करेंगे।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मंदिर के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास / मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य "पशु की क्रुरता या वध" होता हो या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. मंदिर की खाली भूमि पर, गोदाम या अन्य किसी प्रकार के व्यवसाय केन्द्र का निर्माण करने का प्रस्ताव है, इस संबंध में न्यास समिति अपनी बैठक कर, पर्षद के समक्ष उपस्थापित करेगी। तदोपरांत उस पर विचार किया जायेगा।

18. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

19. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1.	डॉ० त्रिलोकी प्रसाद गोलवारा, मच्छरहट्टा गली, पटना– 8	– अध्यक्ष
2.	श्री रतनदीप प्रसाद, पानी टंकी रोड, खाजेकलां, पटना सिटी, पटना	– उपाध्यक्ष
3.	श्री श्याम मिश्र, झाउगंज, पटना सिटी, पटना	– उपाध्यक्ष
4.	श्री राजेश राय, खाजेकलां, पटना सिटी, पटना– 08	– सचिव
5.	श्री गणेश मिश्रा, कठौतिया गली, पटना सिटी, पटना	– उप सचिव
6.	श्री मोहित मोरारका, चौक, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना– 08	– कोषाध्यक्ष
7.	श्री अनिल जेठली, महाराज घाट, पटना सिटी, पटना– 08	– सह कोषाध्यक्ष
8.	श्री संजीव कुमार यादव, गुरू गोविन्द सिंह पथ, पटना सिटी, पटना	– सदस्य
9.	श्री जर्नादन अग्रवाल, काले महावीर मंदिर पथ, पटना सिटी, पटना– 08	– सदस्य
10.	श्री विकास प्रसाद गुप्ता, मच्छरहट्टा गली, पटना सिटी, पटना– 08	– सदस्य
11.	श्री अरविन्द रजक, मिरचाई गली, पटना सिटी, पटना– 08	– सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में **श्री श्री ठाकुर गोपीनाथजी मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, महाराज घाट, पटना सिटी, पटना– 08** के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन/ विक्रय / पट्टा / लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

13 मई 2022

सं0 574––**श्री कबीर पंथी मठ, ग्राम– चकजलाल, पत्रालय–खजुरार, थाना– भदौर, जिला–पटना,**बिहार राज्य धार्मिक न्यास,पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–3822 / 2008है।

उक्त न्यास की सुव्यवस्था हेतु दिनांक– 02/04/2005 को पर्षद द्वारा सभी तथ्यों पर विचारोपरांत महंत श्री शिवचरण दास एवं महंत श्री गौतम दास को श्री कबीर पंथी मठ, चकजलाल का न्यासधारी नियुक्त किया गया। कालांतर में दोनों महंतों के बीच आपसी विवाद होने लगा। ऐसी स्थिति में पर्षदीय आदेश दिनांक– 04/12/2019 द्वारा दोनों महंतों को न्यासधारी पद से विमुक्त करते हुये अंचलाधिकारी को अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया तथा न्यास की मुख्य शाखा सिद्धपीठ कबीर चौरा, मूलगादी मठ, वाराणसी से इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु महंत नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव पर्षद को प्रेषित करने का आग्रह किया गया। इस बीच स्थानीय लोगों की अलग–अलग सूची पर्षद को प्राप्त हुयी, जिसे संबंधित थाना को चरित्र–सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया। श्री कबीर चौरा, मूलगादी के आचार्य अपने पत्र दिनांक– 12/05/2021 में महंत श्री शिवचरण दास को न्यासधारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। महंत श्री शिवचरण दास अतिवृद्ध व्यक्ति हैं। न्यास की कुछ भूमि को अतिक्रमण असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि एक प्रबंधन समिति, महंत जी के रखते हुये गठित की जाय, जिससे मठ की संपत्ति की सुरक्षा हो सके। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा चार व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद को प्राप्त हुआ तथा पूर्व में ग्रामीणों की आम सभा द्वारा ग्यारह नामों का प्रस्ताव भेजा गया था। उक्त दोनों सूचियों पर विचारोपरांत 08 सदस्यों की न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से करने का निर्णय लिया गया। उक्त व्यक्तियों का चरित्र–सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत समिति को नियमित करने पर विचार किया जायेगा। समिति के किसी सदस्य या संरक्षक को मठ की संपत्ति को विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक–01/04/2022 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री कबीर पंथी मठ, ग्राम– चकजलाल, पत्रालय– खजुरार, थाना– भदौर, जिला–पटना** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री कबीर पंथी मठ न्यास योजना, ग्राम– चकजलाल, पत्रालय– खजुरार, थाना– भदौर, जिला–पटना**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री कबीर पंथी मठ न्यास समिति, ग्राम– चकजलाल, पत्रालय– खजुरार, थाना– भदौर, जिला–पटना**'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष की अनुपलब्धता की स्थिति में उपाध्यक्ष दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. श्री शिवचरण दास – अध्यक्ष
2. अनुमंडल पदाधिकारी – उपाध्यक्ष
3. श्री अक्षय कुमार यादव पिता– राज बल्लभ यादव – सचिव
4. श्री मिथिलेश प्रसाद पिता– स्व० रामचंद्र प्रसाद – कोषाध्यक्ष
5. श्री राजो यादव पिता– गनौरी यादव – सदस्य
6. श्री जयचंद कुमार पिता– राम रतन यादव – सदस्य
7. श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता– कांग्रेसी राम – सदस्य
8. श्री महेन्द्र पासवान पिता– स्व० लखन पासवान – सदस्य

पता–श्री कबीर पंथी मठ, ग्रा०– चकजलाल, पो०– खजुरार, था०–भदौर, जिला–पटना।

उक्त आदेश के आलोक में "**श्री कबीर पंथी मठ, ग्राम– चकजलाल, पत्रालय–खजुरार, थाना–भदौर, जिला–पटना**" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

17 मई 2022

सं0 577——**श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम– रूपापट्टी, महुला, जिला–कैमूर (भभुआ)** बिहार राज्य धार्मिक न्यास, पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–4589 है।

उक्त न्यास से संबंधित समर्पणनामा से स्पष्ट होता है कि ठाकुर राज कुमार सिंह पुत्र स्व० राम प्रसाद द्वारा श्री राम जानकी मंदिर को अपनी 07.94 डीसमिल भूमि, जो मौजा– लुनापट्टी में अवस्थित और राम जानकी मंदिर, जो महुला ग्राम में अवस्थित है, उक्त मंदिर की देख–रेख, पूजा–पाठ, राग–भोग, साधु–सेवा हेतु समर्पण किया। उक्त दस्तावेज में उल्लेख है कि मंदिर की देख–रेख मोतवली के रूप में 1. ठाकुर राजेश्वर प्रसाद 2. ठाकुर श्याम सुन्दर 3. मुंशी लाल एवं 4. बाबू रामजी सिंह को भी नियुक्त किया गया। उक्त दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया कि समर्पित की गयी संपत्ति के मालिक ठाकुरजी रहेंगे। उक्त दस्तावेज में यह भी लिखा गया कि राजेश्वर प्रसाद उनके प्रबंधक के रूप में कार्य करते रहेंगे व उनके उपरांत उनके परिवार के कोई मोतवली होंगे।

श्री रिकेश कुमार द्वारा यह सूचित किया गया कि उपरोक्त मोतवली द्वारा ठाकुर रामजी प्रसाद पिता– ठाकुर राजेश्वर प्रसाद को प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था, परंतु उपरोक्त मुंतजिमकार या प्रबंधक द्वारा कभी कोई सूचना पर्षद में नहीं दी गयी। ग्रामीण बनारसी राम द्वारा वर्ष 2020 में सर्वप्रथम एक प्रार्थना–पत्र दिया गया जिसमें जनता द्वारा पूजा–पाठ एवं चंदा–चढ़ावा किये जाने का उल्लेख है। मंदिर की व्यवस्था जर्जर है। उसकी प्रबंधन, संपत्ति के लिए न्यास समिति गठन किये जाने का अनुरोध किया गया। इस पर अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन दिनांक– 25/02/21 को प्राप्त हुयी। प्रतिवेदन में प्रबंधक के रूप में श्याम सुन्दर प्रसाद का नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज है और अपने प्रतिवेदन के साथ समर्पणनामा वर्ष 1940 वसीयतनामा दिनांक– 28/01/1961 संलग्न किया। उक्त के आधार पर कृष्ण मोहन जी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्षद द्वारा सूचना प्रदान की गयी, जिसके आलोक में उनके पुत्र रिकेश कुमार उपस्थित हुये। उन्होंने अपना प्रार्थना–पत्र तथा फोटोग्राफ समर्पित किया।

यह भी स्वीकार किया कि कुछ कारणवश मंदिर का सम्यक् विकास नहीं हो पाया तथा एक न्यास समिति गठन किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसमें उनके परिवार को भी स्थान दिया जाय। दुसरी तरफ ग्रामीणों द्वारा 10 व्यक्ति के नामों का प्रस्ताव एक आम सभा दिनांक– 04/01/21 को कर प्रस्ताव दिया। उपरोक्त न्यास समिति गठन करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचारोपरांत अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए एक नवीन न्यास समिति का गठन करने तथा उसके कार्यान्वयन हेतु योजना का निरूपण करने का निर्णय लिया गया।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 05/04/2022 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम– रूपापट्टी, महुला, जिला–कैमूर (भभुआ)** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री राम जानकी मंदिर न्यास योजना, ग्राम– रूपापट्टी, महुला, जिला–कैमूर (भभुआ)**'' होगा तथा इसके कार्यान्वियन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति, ग्राम– रूपापट्टी, महुला, जिला–कैमूर (भभुआ)**'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों कीएक न्यास समिति गठित की जाती है:–

1. अंचलाधिकारी, चैनपुर–	अध्यक्ष
2. श्री बनारसी राम पिता–बिच्छु राम–	उपाध्यक्ष
3. श्री रिकेश कुमार पिता–श्री कृष्ण मोहन प्रसाद–	सचिव
4. श्री अनिल कुमार सिंह–	कोषाध्यक्ष
5.श्री सूयदेव गौड पिता–स्व० अलियार गौड–	सदस्य
6. श्री धनुकधारी बिंद पिता–स्व० बाला बिंद–	सदस्य
7. श्री नारद पासवान पिता–श्री गजाधर पासवान–	सदस्य
8. श्री संग्राम यादव पिता–स्व० भृगु यादव–	सदस्य
9. श्री कामेश्वर राम पिता–श्री नरेश राम–	सदस्य

पता– श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–रूपापट्टी, महुला, जिला–कैमूर (भभुआ)।

उक्त आदेश के आलोक में ''**श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम– रूपापट्टी, महुला, जिला–कैमूर (भभुआ)**'' के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन / विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

17 मई 2022

सं0 581——**बरैठा मठ, श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–बरैठा, थाना–मोहनियां, जिला–कैमूर (भभुआ)** बिहार राज्य धार्मिक न्यास, पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–267 है।

उक्त न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–1445, दिनांक–13/12/2007 द्वारा ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था। न्यास समिति द्वारा समय–समय पर आय–व्यय विवरणी, पर्षद जमा किया जाता रहा। परंतु वर्ष 2019 के पश्चात आय–व्यय विवरणी समर्पित नहीं की गयी। न्यास समिति के सदस्यों का कथन था कि न्यास समिति के पांच सदस्यों में से क्रमशः श्री राधेश्याम भारती, महंत ललन सिंह एवं नगीना गोसाईं को स्वर्गवास हो गया है तथा दो सदस्य श्री किशुन सिंह एवं श्री सिंहासन सिंह कभी भी किसी भी बैठक या मंदिर के कार्य में कोई हिस्सा नहीं लिया। 09 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव न्यास समिति गठन हेतु पर्षद को उपलब्ध कराया गया। यह भी सूचना प्रदान की गयी कि एक वाद सं०–59/19 पटना डायरेक्टॉरेट / चकबंदी में चल रहा था, जो मंदिर के पक्ष में निर्णित किया जा चुका है तथा विकास के संबंध में कुछ फोटोग्राफ भी समर्पित किये गये। यह भी सूचित किया गया कि 13 कमरों का जीर्णोद्धार किया गया है तथा लगभग 03 लाख रू० की मंदिर की खेती आदि से प्राप्त राशि बैंक में जमा है।

उपरोक्त सभी तथ्य स्पष्ट करते हैं कि न्यास समिति का कार्य संतोषजनक है तथा मठ में वर्तमान में कोई भी महंत नहीं है।

उपरोक्त परिस्थिति में एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से न्यास समिति का गठन करने तथा उसके कार्यान्वयन हेतु योजना का निरूपण करने का निर्णय लिया गया।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक–05/04/2022 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **बरैठा मठ, श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–बरैठा, थाना–मोहनियां, जिला–कैमूर (भभुआ)** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "**बरैठा मठ, श्री राम जानकी मंदिर न्यास योजना, ग्राम–बरैठा, थाना–मोहनियां, जिला–कैमूर (भभुआ)**" होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम" **बरैठा मठ, श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति, ग्राम–बरैठा, थाना–मोहनियां, जिला–कैमूर (भभुआ)**" जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष /सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होनेवाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में उपाध्यक्ष, संचालन करेंगे।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति गठित की जाती है:–

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, मोहनियां – अध्यक्ष
2. श्री कमलेश कुमार सिंह –उपाध्यक्ष
3. श्री चतरगुण सिंह –सचिव
4. श्री राजेश्वर सिंह –कोषाध्यक्ष
5. थानाध्यक्ष, मोहनियाँ –सदस्य
6. श्री पारस सिंह –सदस्य
7. श्री राम इकबाल राम –सदस्य
8. श्री ईश्वर यादव –सदस्य
9. श्री महेन्द्र गौड़ –सदस्य
10. श्री विरेन्द्र सिंह –सदस्य
11. श्री दयाशंकर –पुजारी

बरैठा मठ, श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–बरैठा, थाना–मोहनियां, जिला–कैमूर (भभुआ)।

उक्त आदेश के आलोक में "**बरैठा मठ, श्री राम जानकी मंदिर, ग्राम–बरैठा, थाना–मोहनियां, जिला–कैमूर (भभुआ)**" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन / विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

———————

17 मई 2022

सं0 579––**श्री मनोकामनानाथ मंदिर, थाना–जक्कनपुर, जिला–पटना** बिहार राज्य धार्मिक न्यास, पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–4586 है।

प्रारंभ में यह मंदिर मीठापुर बस पड़ाव, करबिगहिया रोड़ के बीचो बीच अवस्थि तथा। उक्त मंदिर को बिहार राज्य अनाधिकृत निर्माण सर्वेक्षण एवं विनियमन द्वारा पुर्नस्थापना नियमावली के 2013 के तहत 10 धूर भूमि मीठापुर कृषि फॉर्म में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें सभी स्थानीय लोगों द्वारा चंदा एकत्रित मंदिर का निर्माण किया गया है। उक्त मंदिर में नियमित पूजा–पाठ, राग–भोग एवं प्रबंधन हेतु एक न्यास समिति का गठन के संबंध में स्थानीय लोगों की आम सभा दिनांक–24/04/21 को आहुत की गयी, जिसमें ग्यारह व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव दिया गया। पूर्व में उक्त मंदिर के प्रबंधन एवं देखरेख हेतु स्थानीय लोगों द्वारा गठित न्यास समिति द्वारा की जाती थी तथा सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उक्त संस्थान का निबंधन भी कराया गया था। आम सभा द्वारा चयनित सदस्यों का चरित्र–सत्यापन भी पर्षद संबंधित थाना से कराया गया।

उपरोक्त परिस्थिति में न्यास के प्रबंधन एवं सम्यक् विकास हेतु एक नवीन न्यास समिति का गठन करने तथा उसके कार्यान्वयन हेतु योजना का निरूपण करने का निर्णय लिया गया।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक–08/04/2022 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री मनोकामनानाथ मंदिर, थाना–जक्कनपुर, जिला–पटना** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "**श्री मनोकामनानाथ मंदिर न्यास योजना, थाना–जक्कनपुर, जिला–पटना**" होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "**श्री मनोकामनानाथ मंदिर न्यास समिति, थाना–जक्कनपुर, जिला–पटना**" जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते कासंचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होनेवाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. श्री राजू कुमार सिन्हा पिता–शिवपूजन सहाय, रामनगर, था०–जक्कनपुर, पटना– अध्यक्ष
2. थानाध्यक्ष, जक्कनपुर–कार्यवाहक अध्यक्ष
3. श्री नागेन्द्र कुमार पिता–स्व० पन्नुलाल रजक, रामनगर, था०–जक्कनुपर, पटना–सचिव
4. सुश्री बबली कुमारी पिता–रामलखन शर्मा, रामनगर मोड़, जक्कनपुर, पटना–कोषाध्यक्ष
5.श्रीमति पुनम कुमारी पति–निरंजन कुमार, निवासी–सरिस्ताबाद, नया टोला, गर्दनीबाग, पटना–सदस्य
6. श्री गौरीशंकर सहाय पिता–स्व० लाल गोविन्द राम, रामनगर, जक्कनपुर, पटना–सदस्य
7. श्री यसवंत सहाय अम्बष्ठ पिता–शिवेणी लाल, टी०पी०एस० कॉलेज रोड, चिरैयाटांड, पटना–सदस्य
8. श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी–मुलती स्टेट कॉपरेटिव, लैंड डेवलपमेंट बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना–सदस्य
9. श्री विमल कुमार राय पिता–मोहन राय, रामनगर, था०–जक्कनपुर, पटना–सदस्य
10. श्री मनीष कुमार सिन्हा, पोस्टल पार्क, रोडनं०– 1, नियर सब्जी मंडी, कंकड़बाग, पटना–सदस्य
11. श्री शैलेन्द्र कुमार वर्मा, मो०–सिरमौर, पो०–नेकपुर, था०–नीमतल, जिला–गया–सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में ''**श्री मनोकामनानाथ मंदिर न्यास योजना, थाना–जक्कनपुर, जिला–पटना**'' के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

———————

23 जून 2022

सं0 1082––**श्री श्री शिवजी मंदिर, रामजी चक, दीघा, जिला–पटना** बिहार राज्य धार्मिक न्यासपर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–3766/07है।

उक्त न्यास के संचालन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–1590, दिनांक–07/11/2012 द्वारा ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था। उक्त न्यास के संबंध एक शिकायत प्राप्त हुयी कि मंदिर की भूमि को श्री देवेन्द्र पुरी द्वारा अवैध रूप से बंधक रखकर बैंक से लोन प्राप्त किया गया है तथा मंदिर के दरवाजे को बंद कर श्रद्धालुओं एवं भक्तों को

पूजा–पाठ से रोका जा रहा है। कुछ भूमि को अवैध रूप से किराया पर देकर मंदिर की आय का निजी उपभोग किया जा रहा है। समिति द्वारा एक आम सभा दिनांक– 29/03/22 को आहुत की गयी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि पूर्व न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया है और नवीन न्यास समिति का गठन किया जाय। नयी न्यास समिति में पूर्व न्यास समिति के आठ सदस्य, जिनके कार्य संतोषजनक है, उनको भी स्थान दिया गया है तथा तीन नये सदस्यों यथा– 1. श्री राकेश कुमार सिंह पिता– स्व० कामेश्वर सिंह 2. श्री अमित कुमार पिता– स्व० अनिल शर्मा एवं 3. श्री राजेश कुमार पिता– श्री बलिराम प्रसाद का चयन किया गया और समिति के पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव वही हैं, जो पूर्व में थे। न्यास समिति का कार्यकाल संतोषजनक रहा है, क्योंकि समिति द्वारा अपने स्तर से मंदिर की भूमि की सुरक्षा हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तावित न्यास समिति का गठन करने एवं उसके कार्यान्वयन हेतु एक योजना का निरूपण करने का निर्णय लिया गया।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री श्री शिवजी मंदिर, रामजी चक, दीघा, जिला– पटना** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "**श्री श्री शिवजी मंदिर न्यास योजना, रामजी चक, दीघा, जिला– पटना**" होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "**श्री श्री शिवजी मंदिर न्यास समिति, रामजी चक, दीघा, जिला– पटना**" जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों कीएक न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. श्री अजीत शुक्ला पिता– स्व० जेपी शुक्ला, 180 पाटलीपुत्रा कॉलोनी, गोल्फ ग्राउंड के पीछे, पटना– अध्यक्ष
2. श्री कामेश्वर सिंह पिता– स्व० बिन्देश्वरी सिंह, स्कूल रोड रामजीचक, दीघा, पटना –सचिव

3. श्री अमित कुमार पिता– स्व० अनिल शर्मा, स्कूल रोड रामजीचक, दीघा, पटना –कोषाध्यक्ष
4. श्री गोपाल प्रसाद पिता– स्व० रामविलास पासवान, गांधी रोड, रामजीचक, दीघा, पटना (वार्ड पार्षद, वार्ड सं०– 1) –सदस्य
5. श्री राकेश कुमार सिंह पिता– स्व० कामेश्वर सिंह, स्कूल रोड रामजीचक, दीघा, पटना –सदस्य
6. श्री रघुवर चौधरी पिता– स्व० लक्ष्मी चौधरी, स्कूल रोड रामजीचक, दीघा, पटना – सदस्य
7. श्रीमती जानकी देवी पति– स्व० रामतक्तया शर्मा, स्कूल रोड रामजीचक, दीघा, पटना – सदस्य
8. श्री प्रमोद कु० सिंह पिता– स्व० फतेह नारायण सिंह, दुर्गा भवन रामजीचक दीघा, पटना – सदस्य
9. श्री नन्द किशोर गुप्ता पिता– स्व० मधुसूदन गुप्ता, मेन रोड, रामजीचक, दीघा, पटना – सदस्य
10. श्री राजेश कुमार पिता– श्री बलिराम प्रसाद, मेन रोड, रामजीचक, दीघा, पटना – सदस्य
11. श्री उदय सिंह पिता– स्व० हजारी सिंह, स्कूल रोड रामजीचक, दीघा, पटना – सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में "**श्री श्री शिवजी मंदिर, रामजी चक, दीघा, जिला– पटना**"के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/ पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

———————

28 दिसम्बर 2022

सं0 3340——मुजफ्फरपुर नगर सरैयागंज मुहल्ला स्थित सेवा संघ न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 3992 है। इस न्यास की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 2010, दिनांक 07.10.2016 द्वारा एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए निम्नांकित व्यक्तियों की एक न्यास समिति का गठन पाँच वर्षो के लिए किया गया था।

1. श्री सरेश चन्द्र पाण्डेय (अ0 प्रा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) – अध्यक्ष,
2. श्री सच्चिदानन्द प्रसाद, पुत्र स्व0 चर्तुभुज साह, – उपाध्यक्ष,
3. श्री दिलीप जालान, पुत्र स्व0 पशुपति जालान – सचिव,
4. श्री रेवती प्रसाद गोयनका, पुत्र स्व0 नन्दलाल गोयनका – कोषाध्यक्ष,
5. श्री राजेन्द्र पटेल, पुत्र स्व0 भगवान सिंह – सदस्य,
6. प्रो0 मनोज सिंह, पुत्र स्व0 शिवपूजन सिंह – सदस्य,
7. डॉ के0 सी0 सिन्हा, पुत्र डॉ0 जे0 के0 सिंह – सदस्य,
8. श्री गोनौर महतो, पुत्र स्व0 धनाई महतो – सदस्य,
9. श्री पंचम राय, पुत्र स्व0 विश्वनाथ राय – सदस्य,
10. श्री अशेश्वर राय, पुत्र स्व0 रामअवतार राय, – सदस्य,
11. श्री अनील कुमार महतो, पुत्र श्री विश्वनाथ महतो – सदस्य,

उक्त न्यास समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण हस्ताक्षर की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। न्यास समिति अधिसूचना ज्ञापांक 2010, दिनांक 07.10.2016 में वर्णित शर्तो का पालन करेगी।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

———————

17 दिसम्बर 2022

सं0 3215——**श्री शिव मंदिर, ग्राम+पोस्ट– राढ़ी, टोले– सौरिया, अंचल+थाना– जाले, जिला– दरभंगा**, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०– 4011 है।

उक्त मंदिर के अधीन ग्राम– सौरिया में खाता सं०– 462, 463, 453, नया सं०– 5976 है, लगभग 26 एकड़ भूमि है। उक्त भूमि पर लालधारी महतो का नाम रैयत के रूप में इन्द्राज था, परंतु ग्रामीणों के द्वारा यह शिकायत प्राप्त हुयी कि लालधारी महतो सारी भूमि को अपने निजी लाभ में लेते हैं और उसके आय का दुरूपयोग भी करते हैं। इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण मांगे जाने पर उनके द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका सं०– 7891/2002 समर्पित की गयी, जो मा० उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक– 20/11/2002 द्वारा निस्तारित करते हुये पर्षद के समक्ष अभ्यावेदन और दावा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके आलोक में सभी पक्षों की सुनवायी विस्तारपुर्वक दिनांक– 07/08/2004 को पर्षद के 06 सदस्यों की उपस्थिति में की गयी और सुनवायी के उपरांत यह पाया गया कि पुर्व में चले स्वत्व वाद सं०– 84/71 में पारित आदेश दिनांक– 20/08/2074 द्वारा वादी देव भारती, भगल भारती के दावा को निरस्त किया गया और सेवायतनामा दिनांक– 25/06/1960 के आलोक में लालधारी महतो को सेवायत नियुक्त किया गया। उक्त आदेश में मंदिर को निजी घोषित नहीं किया गया, चूंकि दिनांक– 25/06/1960 को सेवायत विलेख दिनांक– 13/01/1964 को निरस्त किया जा

चुका था और इसी आधार पर ही लालधारी महतो सेवायत नहीं रहे और इसी दावा के संबंध में उन्होंने उपरोक्त स्वत्व सूट सं०– 84 / 71 दाखिल किया था।

सभी दस्तावेजों और तर्कों को सुनने के उपरांत श्री लालधारी महतो के दावा को पर्षदीय आदेश दिनांक– 29 / 11 / 2004 द्वारा निरस्त किया गया। उक्त मंदिर एवं इसकी संपत्ति / भूमि की सुरक्षा हेतु 07 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया। न्यास समिति के गठन के आदेश को श्री लालधारी महतो द्वारा दीवानी न्यायालय में स्वत्व वाद सं०– 42 / 05 प्रविष्ट किया गया। उक्त स्वत्व वाद की कार्यवायी को न्यास समिति के कोषाध्यक्ष श्री राज नारायण महतो द्वारा मा० उच्च न्यायालय में CMJ No.- 54/16 प्रविष्ट कर प्रश्नगत किया। उक्त स्वत्व वाद की कार्यवायी में मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक– 02 / 08 / 2016 द्वारा स्थगित कर दिया गया।

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि पर्षद द्वारा पारित आदेश दिनांक– 29 / 11 / 2004 प्रभावी है और न तो यह किसी न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया है और न हीं निरस्त किया गया है, परंतु श्री लालधारी महतो द्वारा दीवानी न्यायालय में वाद प्रविष्ट कर बलपुर्वक अवैध रूप से मंदिर की सारी भूमि पर अपना अधिपत्य बनाये रहे, जिस संबंध में पर्षद के आदेश, मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश आदि का उल्लेख करते हुये न्यास समिति को कब्जा दिलाये जाने का पत्र प्रशासनिक पदाधिकारियों, अंचलाधिकारी को भेजा गया, जिसके आलोक में अंचलाधिकारी द्वारा पत्रांक– 485, दिनांक– 09 / 03 / 2021 को यह आदेश दिया गया कि स्व० लालधारी महतो के दोनों पुत्र क्रमशः श्री प्रमोद कुमार सिंह एवं श्री उमेश कुमार सिंह को मंदिर की भूमि पर सभी प्रकार के क्रिया–कलापों को प्रतिबंधित किया जाता है। पुनः पर्षदीय पत्र दिनांक– 26 / 05 / 2022 के आलोक में उपरोक्त सभी भूमि न्यास समिति के अधिपत्य में आ गयी है, परंतु खाता– 5976, खेसरा– 5746 पर अभी भी लालधारी महतो के परिवार वाले मकान निर्माण कर रह रहे हैं। इस संबंध में अंचलाधिकारी को प्रार्थना–पत्र दिया गया है। न्यास समिति के पदेन अध्यक्ष, अंचलाधिकारी, जाले, जिला– दरभंगा के विरूद्ध पर्षद को शिकायत प्राप्त हुयी है।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त न्यास की संपत्ति के सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया जाता है।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 22 / 07 / 2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री शिव मंदिर, ग्राम+पोस्ट– राढ़ी, टोले– सौरिया, अंचल+थाना– जाले, जिला– दरभंगा** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री शिव मंदिर न्यास योजना, ग्राम+पोस्ट– राढ़ी, टोले– सौरिया, अंचल+थाना– जाले, जिला– दरभंगा**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री शिव मंदिर न्यास समिति, ग्राम+पोस्ट– राढ़ी, टोले– सौरिया, अंचल+थाना– जाले, जिला– दरभंगा**'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास / मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य "पशु की क्रुरता या वध" होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2004 में गठित न्यास समिति में अंचलाधिकारी, जाले के स्थान पर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है एवं निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति अगले आदेश तक गठित की जाती हैः–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा – अध्यक्ष
2. श्री बटोही महतो पिता– स्व० राम प्रसाद महतो – सचिव
   पता– ग्राम– सोरैया, पो०– दीघरा, था०– जाले, जिला– दरभंगा।
3. श्री राज नारायण महतो, ग्राम– सोरैया, पो०– दीघरा, था०– जाले, जिला– दरभंगा – कोषाध्यक्ष
4. श्री सत्य नारायण महतो, ग्राम– सोरैया, पो०– दीघरा, था०– जाले, जिला– दरभंगा – सदस्य
5. श्री कैलाश प्रसाद पिता– राम बहादुर, पो०– राठ, दरभंगा – सदस्य
6. श्री राम प्रवेश चौधरी, ग्राम+पो०– राढ़ी, टोले पकटोला, दरभंगा – सदस्य
7. श्री राम प्रकाश यादव ग्राम+पो०– कतरौल, जिला– दरभंगा – सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में **"श्री शिव मंदिर, गाम+पोस्ट– राढ़ी, टोले– सौरिया, अंचल+थाना– जाले, दरभंगा"** के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन/विक्रय / पट्टा / लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

9 नवम्बर 2022

सं0 2700——**श्री राम लक्ष्मण जानकी मंदिर, ग्राम– सुरहां लोदीपुर, पोस्ट– अमांव, थाना– चैनपुर, जिला– कैमूर (भभुआ)**, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 4304 है।

उक्त मंदिर एवं इसकी संपत्तियों की समुचित व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु दिनांक– 09/01/2014 को एक न्यास समिति का गठन किया गया था। न्यास समिति के सचिव द्वारा दिनांक– 12/12/2019 को एक प्रार्थना–पत्र दिया गया कि 20 अतिक्रमणकारियों द्वारा मंदिर की भूमि का अतिक्रमण कर, निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुये मंदिर की भूमि पर हो रहे निर्माण पर रोक लगायी गयी। आदेश की प्रति संबंधित अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष को प्रेषित की गयी। दिनांक– 19/02/2020 को सुनवायी में काफी ग्रामीण उपस्थित थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनचास (49) एकड़ भूमि सचिव– श्रीमति उषा देवी द्वारा पैसा लेकर कब्जा करा दिया गया है। न्यास समिति का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। नवीन न्यास समिति के गठन हेतु अंचलाधिकारी से ग्यारह व्यक्तियों के नामों की मांग की गयी।

पर्षद को सुनवायी के क्रम में सचिव के पति– श्री परीक्षा बिंद, मंदिर की काफी भूमि ग्रामीणों को विक्रय किये जाने, पैसा लेकर मकान निर्माण करवाये जाने की शिकायत की। ग्रामीणों ने मंदिर की भूमि की सुरक्षा हेतु स्वयंभू समिति का गठन कर मंदिर में पूजा–पाठ प्रारंभ किया।

पर्षद द्वारा अंचलाधिकारी को खाता सं०– 100 की भूमि पर किसी प्रकार की नामांतरण नहीं करने का आदेश दिया गया तथा अपर समाहर्त्ता से ग्यारह व्यक्तियों के नामों की मांग की गयी। दुसरी ओर सचिव द्वारा यह कथन किया जाता रहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बलपुर्वक भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। पुनः अंचलाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी से ग्यारह स्वच्छ एवं धार्मिक चरित्र के व्यक्ति के नामों की मांग की गयी, परंतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

संचिका पर ग्रामीणों द्वारा गठित स्वयंभू समिति के संबंध में बैठक की कार्रवाई की पंजी, फोटो प्रति समर्पित की गयी, जिसमें बैठक दिनांक– 01/01/2021 में दस व्यक्तियों के नामों का चयन न्यास गठन हेतु किया गया।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रस्तावित नामों में से एक मात्र विकल्प पर्षद के समक्ष था। मंदिर की संपत्ति को क्रय–विक्रय एवं अनाधिकृत रूप से अतिक्रमित किया जा रहा है।

मंदिर एवं मंदिर की भूमि की सुरक्षा तथा समुचित प्रबंधन हेतु एक योजना का निरूपण करते हुये इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 28/09/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री राम लक्ष्मण जानकी मंदिर, ग्राम– सुरहां लोदीपुर, पोस्ट– अमांव, थाना– चैनपुर, जिला– कैमूर (भभुआ)** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **श्री राम लक्ष्मण जानकी मंदिर न्यास योजना, ग्राम– सुरहां लोदीपुर, पोस्ट– अमांव, थाना– चैनपुर, जिला– कैमूर (भभुआ)** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "**श्री राम लक्ष्मण जानकी मंदिर न्यास समिति, ग्राम– सुरहां लोदीपुर, पोस्ट– अमांव, थाना– चैनपुर, जिला– कैमूर (भभुआ)**" जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास / मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य "पशु की क्रुरता या वध" होता हो या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. अनुमंडल पदाधिकारी– पदेन अध्यक्ष।
2. श्री वसंत बिन्द– सचिव।

3. श्री अमरजीत बिन्द– कोषाध्यक्ष।
4. श्री हरचिरण बिन्द– सदस्य।
5. श्री रामभजन राम– सदस्य।
6. श्री रामव्रत यादव– सदस्य।
7. श्री प्रितम राम– सदस्य।

क्रम सं०– 02 से 07 का पता– श्री राम लक्ष्मण जानकी मंदिर, ग्राम– सुरहां लोदीपुर, पोस्ट– अमांव, थाना– चैनपुर, जिला– कैमूर (भभुआ)।

उक्त आदेश के आलोक में ''**श्री राम लक्ष्मण जानकी मंदिर, ग्राम– सुरहां लोदीपुर, पोस्ट– अमांव, थाना– चैनपुर, जिला– कैमूर (भभुआ)**'' के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

---

9 नवम्बर 2022

सं0 2692––**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम– बरहपुर, पोस्ट– मोर, थाना– मोकामा, जिला– पटना**, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा– 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं०– 3740/07 है।

उक्त मंदिर में कुल 31.2 एकड़ भूमि है। पुर्व में उक्त मंदिर एवं उसकी भू–संपत्तियों की सुरक्षा–व्यवस्था हेतु वर्ष 2007 में एक न्यास समिति का गठन किया गया था। न्यास समिति का कार्य संतोषजनक पाते हुये, इसे समय–समय पर विस्तारित किया गया। इसी बीच समिति के कुछ सदस्यों का स्वर्गवास हो जाने तथा कुछ सदस्यों की आयु अधिक होने, अस्वस्थ होने के कारण नवीन न्यास समिति के गठन हेतु अंचलाधिकारी, मोकामा से नामों की मांग की गयी। तदोपरांत पर्षदीय अधिूसचना ज्ञापांक– 2290, दिनांक– 01/03/19 द्वारा 09 सदस्यों की न्यास समिति का गठन किया गया। विगत 02 वर्षों से न्यास समिति के सचिव एवं कोषाध्यक्ष एक–दुसरे पर आरोप लगाते रहे। उपाध्यक्ष द्वारा त्याग–पत्र दे दिया गया और अन्य दो सदस्य श्री गोरख प्रसाद सिंह एवं श्री केशव पासवान का स्वर्गवास हो गया तथा श्री सुरेन्द्र सिंह अति वद्ध हो गये, जिसके कारण गठित न्यास समिति अल्पमत में आ गयी। नवीन न्यास समिति गठित किये जाने की आवश्यकता को देखते हुये कार्यरत न्यास समिति तथा अंचलाधिकारी, मोकामा से अच्छे चरित्र के धार्मिक विचार वाले व्यक्तियों के नामों की मांग की गयी। कार्यरत न्यास समिति द्वारा ग्यारह नामों का एवं अंचलाधिकारी, मोकामा द्वारा पत्रांक– 828, दिनांक– 28/06/2022 द्वारा पांच व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव प्राप्त हुया।

उपरोक्त परिस्थिति में न्यास की सुव्यवस्था एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु हेतु प्राप्त दोनों सूचियों में 09 नामों की न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 27/09/2022 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम– बरहपुर, पोस्ट– मोर, थाना– मोकामा, जिला– पटना** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, ग्राम– बरहपुर, पोस्ट– मोर, थाना– मोकामा, जिला– पटना**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, ग्राम– बरहपुर, पोस्ट– मोर, थाना– मोकामा, जिला– पटना**'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन तीन सदस्यों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा, जिसमें एक सदस्य के रूप में कोषाध्यक्ष रहेगें तथा अध्यक्ष या सचिव में से कोई एक सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी राशि की निकाशी की जा सकेगी।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण प्रतिवर्ष करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में अध्यक्ष के सभी दायित्व का निर्वहन उपाध्यक्ष सम्पादित करेंगे।

14. न्यास में अवस्थित सभी दुकानों, किरायेदारों तथा शाखा मठ, विद्यालय का किराया/आय की संग्रह का दायित्व सचिव एवं सह–सचिवों का होगा। ये न्यास की आय को संकलन कर कोषाध्यक्ष को हस्तगत करायेगें तथा कोषाध्यक्ष उपरोक्त राशि को न्यास के खाते में जमा करेगें। इस कार्य में पुरी पारदर्शिता स्थापित की जायेगी।

15. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

16. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से गठित की जाती हैः–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, मोकामा, जिला– पटना	–	अध्यक्ष
2. श्री अनिल कुमार शर्मा पिता– श्री श्याम कुमार	–	उपाध्यक्ष
3. श्री निरंजन कुमार पिता– श्री सुरेन्द्र सिंह	–	सचिव
4. श्री अरूण कुमार	–	कोषाध्यक्ष
5. श्री दयानन्द पासवान पिता– श्री छठु पासवान	–	सदस्य
6. श्री सुधीर कुमार पिता– श्री सुभाष सिंह	–	सदस्य
7. श्री संजय तांति	–	सदस्य
8. श्री राधेकृष्ण बिंद पिता– भरोसी बिंद–		सदस्य
9. श्री राजनन्दन राय पिता– नोखे लाल राय	–	सदस्य

क्रम सं०– 02 से 09 का पता– ग्राम– बरहपुर, पोस्ट– मोर, थाना– मोकामा, जिला– पटना।

उक्त आदेश के आलोक में **"श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम– बरहपुर, पोस्ट– मोर, थाना– मोकामा, जिला– पटना"** के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन/विक्रय/ पट्टा / लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

———————

10 नवम्बर 2022

सं0 2724––**श्री श्री गोपालजी ठाकुर जी मंदिर, मिरचाई गली, पटना सिटी, पोस्ट– पटना सिटी, थाना– चौक, जिला– पटना,** बिहार राज्य धार्मिक न्यास, पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 3765/07 है।

उक्त मठ की सुव्यवस्था हेतु श्री राजेश्वर महेश्वरी की अध्यक्षता में एक न्यास समिति का गठन किये जाने की प्रार्थना पर्षद को प्राप्त हुयी थी। उपरोक्त के आलोक में एक योजना का निरूपण करते हुये 07 सदस्यीय न्यास समिति का गठन दिनांक– 25/02/2014 को किया गया था, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि समिति गठन के उपरांत भी न तो समिति द्वारा किसी प्रकार का कोई विकास कार्य किया गया और न हीं मंदिर की भूमि पर अतिक्रमणकारियों की सूची या उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई की गयी। दिनांक– 23/02/22 को श्री राजेश महेश्वरी द्वारा पर्षद में एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि

वर्ष 2014 में गठित न्यास समिति की कोई बैठक नहीं हो पायी और न हीं कोई विकास कार्य किया जा सका। उन्होंने प्रस्ताव दिया किया कि एक नवीन न्यास समिति का गठन किया जाय, जिसके संबंध में 06 व्यक्तियों का नाम भी प्रस्तावित किया गया।

पर्षद द्वारा इस संबंध में स्थल निरीक्षण हेतु एक निरीक्षक की नियुक्ति कर एक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश प्रदान किया गया। पर्षद के निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक– 23/06/2022 को समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि वर्तमान में वह स्थल एक संकरी गली के बाद है। मंदिर पूर्ण रूप से ध्वस्त है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहां पड़े हुये पत्थरों से प्रतीत होता है कि वहां कभी भव्य मंदिर रहा होगा, जो लगभग 200 वर्ष प्राचीन होगा। मंदिर में स्थापित प्रतिमाएँ चोरी हो गयी एवं उचित प्रबंधन के अभाव में मंदिर भवन ध्वस्त हो गया। यह भी उल्लेख किया गया कि गली दोनों ओर मंदिर की भूमि थी, जिस पर आठ पक्के निर्माण किये गये हैं। कुछ लोगों द्वारा व्यवसाय भी किया जा रहा है। मूल मंदिर के सामने के भू–भाग में एक छोटा मंदिर स्थापित है।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुये राजेश कुमार महेश्वरी को अंतिम अवसर दिया जाता है कि वे स्वयं के प्रयास से मंदिर की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को वापस प्राप्त करें तथा उक्त स्थल पर ऐतिहासिक निर्माण किसी अच्छे मंदिर या जनोपयोगी कार्य हेतु करें। श्री राजेश कुमार महेश्वरी द्वारा जो 06 नामों का प्रस्ताव दिया गया है, उनमें से क्रम सं०– 04,

प्रस्तावित क्रम सं०– 01 की पत्नी है तथा क्रम सं०– 05 प्रस्तावित क्रम सं०– 02 के पुत्र हैं। तदनुसार इन दोनों के स्थान पर श्री शंकर खेमका एवं श्री राकेश कपुर को न्यास समिति में स्थान देते एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति के गठन 01 वर्ष हेतु किया जाता है। समिति का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर नियमित करने पर विचार किया जायेगा।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 21/09/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री श्री गोपालजी ठाकुर जी मंदिर, मिरचाई गली, पटना सिटी, पोस्ट– पटना सिटी, थाना– चौक, जिला– पटना** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **श्री श्री गोपालजी ठाकुर जी मंदिर न्यास योजना, मिरचाई गली, पटना सिटी, पोस्ट– पटना सिटी, थाना– चौक, जिला– पटना** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **"श्री श्री गोपालजी ठाकुर जी मंदिर न्यास समिति, मिरचाई गली, पटना सिटी, पोस्ट– पटना सिटी, थाना– चौक, जिला– पटना"** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास / मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती हैः–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, जिला– पटना–	अध्यक्ष
2. श्री राजेश कुमार महेश्वरी–	उपाध्यक्ष
3. श्री राकेश कपुर–	सचिव
4. श्री विजय कारवां	सह–सचिव / कोषाध्यक्ष
5. श्रीमति अनु महेश्वरी–	सदस्य
6. श्री शंकर खेमका–	सदस्य

क्रम सं०– 02 से 06 का पता– श्री श्री गोपालजी ठाकुर जी मंदिर, मिरचाई गली, पटना सिटी, पोस्ट– पटना सिटी, थाना– चौक, जिला– पटना।

उक्त आदेश के आलोक में ''**श्री श्री गोपालजी ठाकुर जी मंदिर, मिरचाई गली, पटना सिटी, पोस्ट– पटना सिटी, थाना– चौक, जिला– पटना**'' के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन/ विक्रय / पट्टा / लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

---

7 दिसम्बर 2022

सं0 3112––**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, मीठापुर चौराहा, पटना**, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–34 के अन्तर्गत, निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 4355 है।

उक्त न्यास की सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक– 1174, दिनांक– 08 / 07 / 2015 द्वारा एक न्यास समिति का गठन 05 वर्षों के लिए किया गया था। कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत न्यास हित में सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुप्रबंधन हेतु कार्यरत न्यास समिति के कार्यकाल का विस्तार पर्षदीय आदेश पत्रांक– 1136, दिनांक– 08 / 09 / 2020 द्वारा 02 वर्षो के लिए किया गया।

न्यास समिति द्वारा पर्षद में एक प्रार्थना–पत्र दिनांक– 01 / 09 / 2022 की कार्यवायी संलग्न करते हुये दी, कि मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रगति पर है, अतः न्यास समिति का अवधि–विस्तार किया जाय। पर्षद द्वारा पृच्छा किये जाने पर दिनांक– 22 / 09 / 2022 को एक प्रार्थना–पत्र दिया गया कि जिसमें वर्तमान में 11 दुकानें, उनका क्षेत्रफल तथा किराया की राशि दर्शित की गयी। निर्माण कार्य से संबंधित फोटोग्राफ भी समर्पित किया गया तथा सचिव द्वारा दिनांक– 28 / 08 / 2022 को मंदिर के विकास के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें न्यास समिति गठन के पश्चात मंदिर को अतिक्रमण मुक्त कराकर नवीन स्वरूप में जीर्णोद्धार कराये जाने की बात, मंदिर में नियमित पूजा–पाठ, राग–भोग, भंडारा तथा मंदिर की आय में उत्तरोत्तर विकास की बात दर्शित की गयी। साथ ही न्यास हित में पांच वादों को विभिन्न न्यायालयों में लड़ने की बात भी लिखी गयी।

मंदिर में किये जा रहे विकास, जीर्णोद्धार एवं दुकानों की स्थिति आदि पर विचारोपरांत एक योजना का निरूपण करते हुये, एक न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए तथा चरित्र–सत्यापन प्राप्त होने पर नियमित करने पर विचार किया जायेगा।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 05 / 11 / 2022 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा– 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, मीठापुर चौराहा, पटना**'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना,** मीठापुर चौराहा, पटना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति**, मीठापुर चौराहा, पटना'' होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन तीन सदस्यों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा, जिसमें एक सदस्य के रूप में कोषाध्यक्ष रहेगें तथा अध्यक्ष या सचिव में से कोई एक सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी राशि की निकाशी की जा सकेगी।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण प्रतिवर्ष करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. **अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में अध्यक्ष के सभी दायित्व का निर्वहन उपाध्यक्ष सम्पादित करेंगे।**

14. न्यास में अवस्थित सभी दुकानों, किरायेदारों तथा शाखा मठ, विद्यालय का किराया/आय की संग्रह का दायित्व सचिव एवं सह–सचिवों का होगा। ये न्यास की आय को संकलन कर कोषाध्यक्ष को हस्तगत करायेगें तथा कोषाध्यक्ष उपरोक्त राशि को न्यास के खाते में जमा करेगें। इस कार्य में पुरी पारदर्शिता स्थापित की जायेगी।

15. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

16. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

18. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास / मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति अस्थायी रूप से एक वर्ष हेतु गठित की जाती हैः–

1. थानाध्यक्ष, जक्कनपुर, जिला– पटना – पदेन अध्यक्ष
2. श्री विजय कुमार जैन पिता– स्व० माणिकचंद जैन, गया गुमटी के पास, पटना – उपाध्यक्ष
3. श्री राजकुमार प्रसाद पिता– श्री सीताराम प्रसाद – सचिव
   पता– मीठापुर चौराहा, पटना– 1, मो0– 8102655067
4. श्री रमेश गुप्ता पिता– श्री विष्णु प्र० गुप्ता, श्री रामजानकी मंदिर, मीठापुर, पटना – उप–सचिव

5. श्री महेश कुमार सिंह पिता– स्व0 बाबू लाल सिंह – कोषाध्यक्ष
पता– चन्द्रभवन, पुरन्दरपुर, पटना– 1, मो0– 9334116466
6. श्री सतीश कुमार यादव पिता– स्व0 बंगाली राय – सदस्य
पता– मीठापुर चौराहा, पटना– 1, मो0– 9973453017
7. श्री राजेन्द्र गुप्ता पिता– स्व0 राम लखन साव – ''
पता– मीठापुर, पटना– 1, मो0– 9905014916
8. श्री अनिल गुप्ता पिता– स्व0 रामचन्द्र साव – ''
पता– मीठापुर चौराहा, पटना– 1, मो0– 9304677122
9. श्री तुलसी महतो पिता– श्री रामअवतार महतो – ''
पता– मीठापुर चौराहा, पटना– 1, 748804933

उक्त आदेश के आलोक में "**श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, मीठापुर चौराहा, पटना**" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

14 नवम्बर 2022

सं0 2752––**श्री हनुमानजी मंदिर, बहवलपुर, गुरारू, जिला– गया,** बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 4619/22 है।

उक्त मंदिर के संबंध में अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक– 25/11/2021 द्वारा सूचित किया गया कि मौजा– बहवलपुर, थाना नं०– 13, खाता– 67, खेसरा– $\frac{46}{54}$, कुल 09 डीसमिल भूमि है, जो राम किशुन मिस्त्री द्वारा दान दी गयी थी। उक्त मंदिर का प्रबंधन बाबा राम दास द्वारा की जाती थी, जिन्होंने समाज के सहयोग व स्वयं द्वारा राशि का व्यय करके मंदिर का निर्माण किया। बाबा रामदास जी के स्वर्गवास के उपरांत श्री रामचन्द्र दास उक्त मंदिर का प्रबंधन कर रहे थे। उनका भी स्वर्गवास करोना महामारी के कारण हो गया। उक्त मंदिर की 03 डीसमिल भूमि सड़क निर्माण योजनान्तर्गत अधिग्रहित की गयी है। ग्रामीणों द्वारा उक्त मंदिर के प्रबंधन हेतु एक न्यास समिति गठन का प्रस्ताव पर्षद में दिनांक– 25/03/2022 को दिया गया। इसके संबंध में अंचलाधिकारी से मंतव्य की मांग की गयी। अंचलाधिकारी द्वारा उक्त नामों के संबंध में अपनी सहमति पत्रांक– 380, दिनांक– 04/05/2022 द्वारा दी गयी।

पर्षद को सूचना प्राप्त हुयी कि श्री कैलाश प्रसाद का स्वर्गवास हो गया। तदनुसार उनके स्थान पर प्रस्तावित श्री अशोक कुमार चौरसिया को सचिव के पद पर नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया।

उपरोक्त परिस्थिति में उक्त मंदिर की व्यवस्था हेतु एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति के गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष हेतु किया जाता है।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 30/09/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री हनुमानजी मंदिर, बहवलपुर, गुरारू, जिला– गया** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **श्री हनुमानजी मंदिर न्यास योजना, बहवलपुर, गुरारू, जिला– गया** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **श्री हनुमानजी मंदिर न्यास समिति, बहवलपुर, गुरारू, जिला– गया** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास / मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

18. न्यास समिति को निर्देश प्रदान किया जाता है कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में मंदिर के नाम से खाता खोलेंगे, जिसका संचालन न्यास समिति के अध्यक्ष / सचिव में से कोई एक तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

19. भूमि अधिग्रहण की मुआवजा राशि का 90 प्रतिशत राशि को फिक्स डीपोजिट किया जायेगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि में से पर्षद शुल्क एवं मंदिर का जीर्णोद्धार करने हेतु समिति स्वतंत्र होगी। आवश्यकतानुसार समिति का प्रस्ताव प्राप्त होने पर समिति को उक्त राशि निकासी किये जाने की स्वीकृति पर्षद द्वारा ही दी जायेगी।

पर्षद द्वारा निरुपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती हैः–

1. अंचलाधिकारी, गुरारू, जिला– गया–	अध्यक्ष
2. श्री ललन कुमार–	उपाध्यक्ष
3. श्री अशोक कुमार चौरसिया–	सचिव
4. श्री शिवनाथ प्रसाद–	सह–सचिव
5. श्री प्रमोद प्रसाद–	कोषाध्यक्ष
6. श्री ललन झा–	सदस्य
7. श्री सुनील चौधरी–	सदस्य
8. श्री सुरेश कुमार–	सदस्य
9. श्री राजेन्द्र कुमार–	सदस्य

क्रम सं०– 02 से 09 का पता– श्री हनुमानजी मंदिर, बहवलपुर, गुरारू, जिला– गया।

उक्त आदेश के आलोक में **श्री हनुमानजी मंदिर न्यास योजना, बहवलपुर, गुरारू, जिला–गया** के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

11 नवम्बर 2022

सं0 2730––**श्री राम जानकी मंदिर, (श्री बालानन्द स्वामी ट्रस्ट), बहेलिया बिगहा, टिकारी, जिला– गया,** बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 4562/21 है।

उक्त मंदिर में 03 एकड़ 05 डीसमिल भूमि है। मंदिर की व्यवस्था को लेकर पर्षद को शिकातय प्राप्त हो रही थी कि मंदिर की दुकानों का किराया बाजार मूल्य से काफी कम है तथा जो किराया प्राप्त होता है, उसका निजी हित में उपयोग किया जाता है। मंदिर की व्यवस्था हेतु अनुमंडल पदाधिकारी से धार्मिक एवं अच्छे चरित्र के व्यक्तियों के नामों की मांग की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी द्वारा पत्रांक– 1329 द्वारा 07 व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव पर्षद को उपलब्ध कराया गया। इस न्यास की जांच पर्षद के निरीक्षक द्वारा भी करवायी गयी। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मंदिर की चार दुकानें मुख्य बाजार में अवस्थित है एवं अन्य 07 दुकानें मंदिर परिसर के समीप अवस्थित है। मंदिर के मुख्य द्वार को अतिक्रमित कर आवागमण को बाधित किया गया है, जबकि इस स्थान पर वर्तमान किराया प्रति दुकान मुख्य बाजार में 05–06 हजार रू० प्रतिमाह है।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचारोपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी द्वारा प्रस्तावित नामों पर विचार करते हुये, न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से एक वर्ष हेतु करने का निर्णय लिया जाता है।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 29/09/2022 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री राम जानकी मंदिर, (श्री बालानन्द स्वामी ट्रस्ट), बहेलिया बिगहा, टिकारी, जिला– गया** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "**श्री राम जानकी मंदिर (श्री बालानन्द स्वामी ट्रस्ट) न्यास योजना, बहेलिया बिगहा, टिकारी, जिला– गया**" होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "**श्री राम जानकी मंदिर (श्री बालानन्द स्वामी ट्रस्ट) न्यास समिति, बहेलिया बिगहा, टिकारी, जिला– गया**" जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन तीन सदस्यों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा, जिसमें एक सदस्य के रूप में कोषाध्यक्ष रहेगें तथा अध्यक्ष या सचिव में से कोई एक सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी राशि की निकाशी की जा सकेगी।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण प्रतिवर्ष करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. **अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में अध्यक्ष के सभी दायित्व का निर्वहन उपाध्यक्ष सम्पादित करेंगे।**

14. न्यास में अवस्थित सभी दुकानों, किरायेदारों तथा शाखा मठ, विद्यालय का किराया/आय की संग्रह का दायित्व सचिव एवं सह–सचिवों का होगा। ये न्यास की आय को संकलन कर कोषाध्यक्ष को हस्तगत करायेगें तथा कोषाध्यक्ष उपरोक्त राशि को न्यास के खाते में जमा करेगें। इस कार्य में पुरी पारदर्शिता स्थापित की जायेगी।

15. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

16. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

17. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास / मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य "पशु की क्रुरता या वध" होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

18. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

19. न्यास समिति को निर्देश प्रदान किया जाता है कि पर्षद से एक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर मंदिर के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलें और सभी दुकानदार से किराया की राशि प्राप्त कर बैंक में जमा करें या सभी दुकानदारों को निर्देश दें की किराया की राशि बैंक में जमा करें और बैंक से ही निकासी कर आवश्यकतानुसार राशि व्यय किया। साथ ही स्थानीय थाना से संपर्क कर मंदिर का मुख्य द्वार खोलवायें, ताकि श्रद्धालुओं के आवागमण में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो और मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर और अन्दर यदि किसी व्यक्ति का अतिक्रमण है, तो उसे शीघ्र खाली कराया जाय।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से गठित की जाती है:–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, टेकारी, जिला–गया–	अध्यक्ष
2. श्रीमति गीता देवी, वार्ड पार्षद–	उपाध्यक्ष
3. श्री रामश्रद्धा सिंह–	सचिव
4. श्री गौरी शंकर केशरी–	कोषाध्यक्ष
5. श्री मुन्ना अवस्थी–	सदस्य
6. श्री हरेन्द्र पाठक–	सदस्य
7. श्री गौतम कुमार–	सदस्य
8. श्री लक्ष्मी चौधरी–	सदस्य
9. थानाध्यक्ष, टिकारी–	सदस्य

क्रम सं०– 02–08 का पता– बहेलिया बिगहा, वार्ड सं०– 06, पो०+था०– टिकारी, जिला– गया।

उक्त आदेश के आलोक में "**श्री राम जानकी मंदिर (श्री बालानन्द स्वामी ट्रस्ट), बहेलिया बिगहा, टिकारी, जिला–गया**" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

9 नवम्बर 2022

सं0 2694––**श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरिटेबुल ट्रस्ट, भभूआ, जिला–कैमुर,** बिहार राज्य धार्मिक न्यास,पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–3569/07है।

उक्त न्यास की व्यवस्था हेतु न्यास समिति का गठन पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक– 1194, दिनांक– 17/08/2017 द्वारा किया गया था, जिसका पांच वर्षो का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु नवीन न्यास समिति का गठन किया जाना विचाराधीन है। इसी बीच पर्षद को ईमेल के माध्यम से श्री अजय कुमार केजरीवाल द्वारा अनेक तिथियों को प्रार्थना–पत्र दिया गया, परंतु इसमें न तो उनका मोबाईल नंबर है और न प्रार्थी का पता। उनके ईमेल पर भी तिथि का निर्धारण करते हुये, जो भी कथन, दावा या अधिकार है, के संबंध में दस्तावेज के साथ उपस्थित होने का निर्देश था, परंतु वो उपस्थित नहीं हुये। न्यास समिति ने विगत पांच वर्षों में जो कार्य किया है। उसका प्रगति प्रतिवेदन, बैठक दिनांक 22/07/22 के साथ प्रस्तुत किया। दिनांक 10/07/22 को दो अन्य व्यक्ति क्रमशः अमित कुमार एवं शैलेश मिश्र के हस्ताक्षर से ग्यारह–ग्यारह व्यक्ति के नामों का प्रस्ताव दिया गया। परंतु उक्त दोनों प्रस्ताव किस माध्यम से प्राप्त हुआ? कोई आम सभा की गयी या नहीं? आम सभा में कितने लोग उपस्थित थे या कहां से ग्यारह व्यक्तियों का नाम उनके संज्ञान में आया? कोई भी तथ्य स्पष्ट नहीं है। श्री परमानंद केशरी द्वारा भी ग्यारह व्यक्तियों का नाम प्रस्तावित किया गया। उनके प्रस्ताव में भी उपरोक्त तथ्य स्पष्ट नहीं है। मात्र प्रस्ताव के साथ सादे कागज पर 40–50 व्यक्तियों के हस्ताक्षर की छायाप्रति संलग्न की है। उस हस्ताक्षर में न तो कोई तिथि और न किस विषय पर उनका हस्ताक्षर किया गया है, कहीं से स्पष्ट नहीं है।

पुर्व में उक्त धर्मशाला की स्थिति जर्जर थी, जिसकी सुव्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–1194, दिनांक 17/08/2017 द्वारा ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष के रूप में कार्यपालक पदाधिकारी को रखा गया था। उक्त न्यास समिति द्वारा धर्मशाला की व्यवस्था को काफी सुदृढ़ किया गया। यद्यपि विगत दो वर्षों से न्यास समिति के सदस्यों के विरूद्ध तरह–तरह की शिकायतें व आरोप कुछ व्यक्तियों द्वारा लगाया गया, जिसके जांच करने तथा दोनों पक्षों को विस्तारपुर्वक सुनने के पश्चात यह पाया गया कि लगाये गये आरोप द्वेष की भावना से एवं उक्त धर्मशाला में अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से की गयी थी। तदनुसार सभी शिकायत पत्रों को, सभी पक्षों को सुनने के उपरांत, निरस्त किया जा चुका है।

न्यास समिति गठन से पुर्व उक्त धर्मशाला की आय मात्र 2.50 लाख रू० के करीब थी। समिति ने धर्मशाला की व्यवस्था के उद्देश्य से 04 नये दुकान का निर्माण कराया। धर्मशाला में कार्यरत बैंक शाखा के उपर 06 स्वनिर्माण योजना के तहत गृह आवास निर्माण कार्य किया गया। पुर्व में आठ दुकानें थी, जिनका नये सिरे से निर्माण कर वहां दो तल का 19 दुकानों का निर्माण कराया गया। धर्मशाला की स्थिति, बरामदा, आंगन का जीर्णोद्धार, साथ ही उसे प्राकृतिक सुविधाओं से युक्त किया गया। शुद्ध जल, शौचालय आदि की व्यवस्था, रंग–रोगन कराया गया। धर्मशाला की आय वर्ष 2021–22 में 15 लाख रू० से अधिक दर्शित की गयी। न्यास समिति ने अपने प्रयास से धर्मशाला में स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के किराया की राशि में दस गुना वद्धि समझौता के आधार पर किया तथा उनके द्वारा किये गये विकासात्मक कार्य संतोषजनक ही नहीं, बल्कि धर्मशाला की व्यवस्था, आय को सुदृढ़ किया गया और समुचित विकास किया गया। चूंकि समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में नवीन न्यास समिति का गठन आवश्यक है।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुये उक्त धर्मशाला की सुव्यवस्था और अधिक सुदृढ़ करते हुये एक योजना का निरूपण किया जाता है तथा न्यास समिति के उन सदस्यों, जिनके द्वारा संतोषजनक कार्य किया गया है, सम्मिलित करते हुये न्यास समिति के गठन का अस्थायी रूप से करने का निर्णय लिया जाता है। चरित्र–सत्यापन प्राप्त होने पर नियमित करने पर विचार किया जायेगा।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक–28/09/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरिटेबुल ट्रस्ट, भभूआ, जिला– कैमुर** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरिटेबुल ट्रस्ट न्यास योजना, भभूआ, जिला– कैमुर** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **"श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरिटेबुल ट्रस्ट न्यास समिति, भभूआ, जिला–कैमुर"** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिरकी गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है।न्यास / मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है:–

1. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, भभुआ–	अध्यक्ष
2. श्री ललन प्रसाद पिता–सीताराम लाल–	उपाध्यक्ष
3. श्री मनोहर सिंह पिता–भोला सिंह–	सचिव
4. श्री परमेश्वरी दयाल पिता–चिरकुट साह	कोषाध्यक्ष
5. श्री विमल ठाकुर पिता–सरजु ठाकुर–	सदस्य
6. श्री अमित राय पिता–त्रिलोकी राय–	सदस्य
7. श्री ब्रजेश कुमार पिता–नन्दु सिंह–	सदस्य
8. श्री संजय कुमार पिता–शिवनाथ प्रसाद गुप्ता–	सदस्य
9. श्री विन्ध्याचल शर्मा पिता–सुखदेव शर्मा–	सदस्य
10. श्री भानु प्रसाद सिंह पिता–देव प्रसाद–	सदस्य
11. श्री सत्येन्द्र सिंह पिता–राधा सिंह–	सदस्य

क्रम सं०–02 से 11 का पता–श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरिटेबुल ट्रस्ट, भभूआ, जिला– कैमुर।

उक्त आदेश के आलोक में''**श्री कन्नीराम केजरीवाल चैरिटेबुल ट्रस्ट, भभूआ, जिला– कैमुर**''के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

---

23 जनवरी 2023

सं0 3655––बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 27 के तहत पर्षद कर्मियों के अंशदायी भविष्य निधि का गठन करते हुये बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास उपविधि सं०– 41 के अनुसार बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के कर्मचारियों के भविष्य निधि EPFO (Emplyee Provident Fund Organisation) प्रावधानों के तहत भुगतान किये जाने के संबंध में विचार–विमर्श किया गया तथा विचार–विमर्श के दौरान जानकारी दी गयी कि पर्षद के कर्मचारियों को भविष्य निधि संगठन EPFO (Emplyee Provident Fund Organisation) से निबंधित किया गया है, ताकि पर्षद के कर्मियों को भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रावधानों के अनुसार लाभान्वित किया जा सके।

उपरोक्त के आलोक में पर्षद में कार्यरत कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा एवं भविष्य को दृष्टिगत रखते हुये 15,000/– (पन्द्रह हजार) रू० की सिलिंग हटाते हुये, कर्मचारियों के भविष्य निधि का अंशदान उनके कुल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के आधार पर होगा एवं इसके लिए नियमानुकूल पर्षदीय अंशदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एतद संबंधी निर्णय पर्षद की बैठक दिनांक– 06/07/2021 द्वारा संपुष्ट की गयी।

उपरोक्त के संबंध में पर्षदीय पत्रांक– 3686, दिनांक– 29/09/2021 द्वारा प्रस्ताव विधि विभाग (राज्य सरकार) के अनुमोदनार्थ भेजा गया, उसके प्रत्योत्तर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपना मंतव्य विधि विभाग को भेजा और विधि विभाग द्वारा पर्षद को अपने पत्रांक– LRT-01-21/22-10329/J, दिनांक– 20/12/2022 द्वारा सूचित किया गया। उक्त पत्र के आलोक में जनवरी, 2023 से पर्षद के सभी कर्मियों को EPFO (Emplyee Provident Fund Organisation) में राशि जमा करने की कार्यवाही की जायेगी।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

13 सितम्बर 2022

सं0 2028——**श्री राम रेखा घाट, बड़ी मठिया, जिला— बक्सर**, बिहार राज्य धार्मिक न्यास, पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0— 238 है।

उक्त न्यास की सुव्यवस्था पर्षद द्वारा मान्यता प्राप्त महंत / न्यासधारी श्री चन्द्रमा दास द्वारा किया जा रहा है। विगत 05 वर्षों से मठ की व्यवस्था को लेकर अनेक शिकायत—पत्र पर्षद को प्राप्त होते रहे तथा कुछ शिकयतकर्त्ता द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिकायें भी दाखिल की गयी, जिसमें मा० उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनकर विस्तारपुर्वक आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

मा० उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में शिकायतकर्त्तागण, न्यासधारी महंत श्री चन्द्रमा दास तथा उनके साथ उपस्थित उनके अधिवक्ता, मैनेजर श्री केदारनाथ सिंह को पर्याप्त अवसर देते हुये सभी पक्षों द्वारा दाखिल किये गये सभी दस्तावेज लिखित और मौखित तर्क को सुनने के उपरांत विस्तृत आदेश दि०— 22/03/2022 पारित किया गया, जिसमें शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोप अधिकांशतः दुर्भावना से प्रेरित पाये गये, परंतु मठ की व्यवस्था के संबंध में कुछ चिन्ताजनक स्थिति थी। यह भी पाया गया कि मंदिर के विकास के रूप में काफी कार्य न्यासधारी महंत चन्द्रमा दास द्वारा किया गया, जिससे वर्तमान में मठ की आय काफी बढ़ गयी। उक्त सभी चीजों की व्यवस्था महंत चन्द्रमा दास द्वारा किया जाना संभव नहीं पाया गया। महंत जी द्वारा भी पर्षद के समक्ष यह कथन किया गया कि मंदिर तथा उसके अवस्थित सैकड़ों दुकानों की व्यवस्था हेतु प्रशासनिक समिति का गठन किया जाना आवश्यक है। इस सभी बातों पर विचारोपरांत पर्षद द्वारा अपने आदेश दिनांक— 22/03/2022 में महंत पर लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य नहीं पाये जाने के कारण निरस्त करते हुए, महंत जी के सहयोग हेतु एक समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं महंत जी से पांच (05) व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव दिये जाने का आग्रह किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। महंत जी द्वारा दो बार 05 (पांच) एवं 11 (ग्यारह) व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव भेजा गया। इसी बीच एक अन्य शिकायतकर्त्ता जयप्रकाश सिंह द्वारा मा० उच्च न्यायालय में CWJC No.- 7303/22 दाखिल किया, जिसमें मा० उच्च न्यायालय ने याचिका का निस्तारण दिनांक— 24/06/2022 को करते हुये 60 दिनों के अंदर पर्षद के आदेश दिनांक— 22/03/2022 के आलोक में उक्त मंदिर की सुरक्षा एवं व्यवस्था हेतु न्यास समिति गठित किये जाने का निर्देश दिया।

इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी को दिनांक— 29/07/2022 को नाम भेजने हेतु स्मार भी दिया गया, परंतु कोई प्रस्ताव उपलब्ध नहीं हो पाया। पर्षद ने अपने माध्यम से समाज के कुछ अच्छे व्यक्तियों के नामों की जानकारी प्राप्त की। कुछ नाम विभिन्न स्रोतों से भी प्राप्त हुये तथा दिनांक— 14/06/2022 को ग्रामीणों द्वारा ग्यारह व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव भी उपलब्ध कराया गया। मंदिर की व्यवस्था के संबंध में पर्षद के निरीक्षक द्वारा मंदिर का स्थल निरीक्षण रिर्पोट भी किया गया। उन्होंने अपनी रिर्पोट दिनांक— 11/08/2022 को समर्पित की। जिसमें केदारनाथ सिंह नामक व्यक्ति का अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप की बात प्राप्त हुयी। यह भी ज्ञात हुआ कि वो एक बड़े स्थान पर अपना निवास स्थान बना रखे हैं और अपने परिवार के साथ मंदिर में निवास करते हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित याचिका CWJC No.- 7303/22 में निर्देश के आलोक में मंदिर के प्रबंधन, सुरक्षा—व्यवस्था हेतु एक योजना का निरूपन किया जाता है एवं उसके कार्यान्वयन हेतु एक न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया जाता है।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक— 17/08/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा— 32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0— 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री राम रेखा घाट, बड़ी मठिया, जिला— बक्सर** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा— 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **श्री राम रेखा घाट न्यास योजना, बड़ी मठिया, जिला— बक्सर** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **श्री राम रेखा घाट न्यास समिति, बड़ी मठिया, जिला— बक्सर** जिसमें न्यास की समग्र चल—अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ—साथ पूजा—अर्चना, राग—भोग, अतिथि—सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (संरक्षक, महंत चन्द्रमा दास / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह—जगह भेंट—पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास / मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यो को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

18. **न्यास समिति को निर्देश दिया जाता है कि शीघ्र मंदिर को उक्त श्री केदारनाथ सिंह के आधिपत्य से खाली कराया जाय, क्योंकि पर्षद द्वारा किसी भी केदारनाथ सिंह नामक व्यक्ति को मैनेजर के रूप में कभी कोई मान्यता नहीं दी गयी है। इस संबंध में न्यास समिति, जिला प्रशासन का भी सहयोग, यदि आवश्यक हो, तो प्राप्त करे तथा बैंक खाता का संचालन संरक्षक, महंत चन्द्रमा, नव नियुक्त सचिव– श्री सत्यदेव प्रसाद तथा कोषाध्यक्ष– श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे में से कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर से निकासी की जायेगी।**

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति गठित की जाती है:–

महंत श्री चन्द्रमा दास–	**संरक्षक**
1. अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर–	अध्यक्ष
2. श्री रोहतासजी गोयल पिता– हजारी लाल गोयल– पता– गंगा स्टील, पीपर पाती रोड, जिला– बक्सर।	उपाध्यक्ष
3. श्री सत्यदेव जी प्रसाद पिता– श्री हीरा लाल– (अध्यक्ष– चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बक्सर), पता– सत्यदेवगंज, जिला– बक्सर।	सचिव
4. श्री नागेन्द्र कुमार पाण्डे उर्फ गोपाल जी– (से०नि०, भारतीय स्टेट बैंक), पता– स्टेशन रोड, महाराजा पेट्रोल पंप के निकट, बक्सर।	कोषाध्यक्ष
5. श्री शिवजी चौरसिया पिता– श्याम नारायण चौरसिया– पता– पाण्डेय पट्टी, पो०– पाण्डेय पट्टी, था०– मुफसिल, जिला– बक्सर।	सदस्य
6. थानाध्यक्ष, बक्सर–	सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में **श्री राम रेखा घाट, बड़ी मठिया, जिला– बक्सर** के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा / लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

10 नवम्बर 2022

सं0 2722——**श्री राम जानकी राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी (मसौढ़ा मठ), मसौढ़ा, जिला– पटना**, के महंत मधुसूदन दास का स्वर्गवास लगभग 05 वर्ष पुर्व हो चुका है और उनके स्वर्गवास के पश्चात किसी भी व्यक्ति द्वारा न्यासधारी का दावा नहीं किया गया है। ग्रामीणों द्वारा पर्षद में दिनांक– 03/05/21 को एक प्रार्थना–पत्र समर्पित किया कि मठ की भूमि को कुछ बिचालियों द्वारा एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा कर विक्रय किया जा रहा है। इस बीच दिनांक 30/11/21 को श्री जय प्रकाश द्वारा स्वयं को महंत नियुक्त किये जाने के संबंध में एक प्रार्थना–पत्र समर्पित किया गया।

पर्षदीय आदेश दिनांक– 06/01/2022 द्वारा मठ की सभी भूमि पर क्रय–विक्रय, बंधक आदि पर रोक लगाये जाने संबंधित आदेश पारित किया गया। इस न्यास के संबंध में पर्षद में विभिन्न तिथियों पर महंत का दावा करने वाले श्री जय प्रकाश, स्थानीय जनता एवं सभी पक्षकारों को विभिन्न तिथियों को सुना गया। श्री जय प्रकाश द्वारा समर्पित दस्तावेज आपस में विरोधाभासी थे। ग्रामीणों द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के समक्ष बी०एल०डी०आर०– 37/21–22 समर्पित किया था। उसमें यह तथ्य स्पष्ट किया गया कि मसौढ़ा ग्राम अवस्थित श्री राम जानकी राधाकृष्ण मंदिर की 29.94 एकड़ भूमि ब्रह्मोत्तर है और जिसके व्यवस्थापक पुर्व महंत मथुरा दास थे। कालांतर में उक्त भूमि पर महंती का दावा करने वाले श्री जय प्रकाश द्वारा राजस्व कर्मचारियों के षडयंत्र से उक्त भूमि पर अपने नाम का इन्द्राज करा लिया था, जिसमें भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा अपर समाहर्त्ता, राजस्व के विलेख से जांचोपरांत यह पाया गया कि रैयत कॉलम में श्री जय प्रकाश के नाम में नामांतरण वाद संख्या नहीं दिया गया, जबकि पंजी– II, खाता– गैरमजरूआ ब्रह्मोत्तर है और स्थानीय जांच में भी यह पाया गया कि भूमि मठ की है। उपरोक्त तथ्यों तथा श्री जय प्रकाश नारायण का पक्ष सुनने के उपरांत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के दिनांक– 31/05/22 द्वारा श्री जय प्रकाश के नाम के इन्द्राज का गलत पाते हुये शीघ्र राजस्व विलेख में जमाबंदी मठ के नाम से करने का निर्देश दिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री जय प्रकाश दास द्वारा समर्पित दस्तावेज, फर्जी / बनावटी पाते हुये यह निर्णय लिया गया कि मसौढ़ा मठ, जो राजीपुर मठ से 50–60 कि०मी० दुर है, उसका पृथक निबंधन करते हुए, न्यास समिति का गठन किया जाय, ताकि उक्त मठ की वर्तमान में सुरक्षित भूमि 29.94 एकड़ है, की उचित व्यवस्था हो सके।

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मठ की व्यवस्था हेतु ग्यारह व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षदीय पत्र के आलोक में दिनांक– 23/06/22 को e-mail से प्राप्त हुआ, जिसका चरित्र–सत्यापन संबंधित थाना से कराया गया, जिसका प्रतिवेदन दिनांक– 31/08/22 को प्राप्त हो गया।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 23/09/2022 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **श्री राम जानकी राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी (राजीपुर मठ), मसौढ़ा, जिला– पटना** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''**श्री राम जानकी राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी (मसौढ़ा मठ) न्यास योजना, मसौढ़ा, जिला– पटना**'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''**श्री राम जानकी राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी (मसौढ़ा मठ) न्यास समिति, मसौढ़ा, जिला– पटना**'' जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन तीन सदस्यों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा, जिसमें एक सदस्य के रूप में कोषाध्यक्ष रहेगें तथा अध्यक्ष या सचिव में से कोई एक सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी राशि की निकाशी की जा सकेगी।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण प्रतिवर्ष करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में अध्यक्ष के सभी दायित्व का निर्वहन उपाध्यक्ष सम्पादित करेंगे।

14. न्यास में अवस्थित सभी दुकानों, किरायेदारों तथा शाखा मठ, विद्यालय का किराया/आय की संग्रह का दायित्व सचिव एवं सह–सचिवों का होगा। ये न्यास की आय को संकलन कर कोषाध्यक्ष को हस्तगत करायेगें तथा कोषाध्यक्ष उपरोक्त राशि को न्यास के खाते में जमा करेगें। इस कार्य में पुरी पारदर्शिता स्थापित की जायेगी।

15. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

16. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से गठित की जाती है:–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज, जिला– पटना	– अध्यक्ष
2. श्री नवल किशोर शर्मा	– उपाध्यक्ष
3. श्री प्रभात कुमार पिता– श्री राजा राम सिंह, ग्रा०+पो०– मसौढ़ा, था०– पालीगंज, पटना	– सचिव
4. श्री धनंजय कुमार पिता– रणवीर सिंह, ग्रा०+पो०– मसौढ़ा, था०– पालीगंज, पटना	– उपसचिव
5. श्री बैजु शरण सिंह पिता– शंभू शरण सिंह, ग्रा०+पो०– मसौढ़ा, था०– पालीगंज, पटना	– कोषाध्यक्ष
6. श्री अशोक कुमार पिता– जीणेश्वर सिंह, ग्रा०+पो०– मसौढ़ा, था०– पालीगंज, पटना	– सदस्य
7. श्रीमति चंचली देवी पति– श्री महेन्द्र राम, ग्रा०+पो०– मसौढ़ा, था०– पालीगंज, पटना	– सदस्य
8. श्री शिवलखन पासवान पिता– मेघनाथ पासवान, ग्रा०+पो०– मसौढ़ा, था०– पालीगंज, पटना	– सदस्य
9. श्री पवन कुमार पिता– रामविनय सिंह, ग्रा०+पो०– मसौढ़ा, था०– पालीगंज, पटना	– सदस्य
10. श्री अंजनी कुमार पिता– नन्द किशोर शर्मा, ग्रा०+पो०– मसौढ़ा, था०– पालीगंज, पटना	–सदस्य
11. श्री विपीन बिहार पिता– वंशरोपण सिंह, ग्रा०+पो०– मसौढ़ा, था०– पालीगंज, पटना	–सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में "**श्री राम जानकी राधाकृष्ण ठाकुरबाड़ी (मसौढ़ा मठ), मसौढ़ा, जिला– पटना**" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

11 मई 2022

सं0 524––**आचार्य गद्दी कबीरपंथी मठ फतुहां, दरियापुर, जिला– पटना** बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा– 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 307 है।

आचार्य गद्दी कबीरपंथी मठ, फतुहां कबीर पंथ की मुख्य शाखाओं में से एक है। कबीर पंथ के इतिहासकारों के अनुसार कबीर साहब के निर्वाण के पश्चात तत्वा और जीवा नामक संत के शिष्य, संत श्री गणेश दास द्वारा फतुहां कबीर पंथी मठ की स्थापना की गयी थी। डॉ० डेविड लॉरेन्सन ने अपनी पुस्तक "Braches of Kabir Pant" में कबीर पंथी मठ, फतुहां का उल्लेख किया है। पूर्व में इस मठ के 04 आचार्यों की हत्या मठ में रहने वाले साधुओं द्वारा की गयी। विगत 25 वर्षों से इस मठ की स्थिति दयनीय होती गयी। यह मठ अपराधियों का अड्डा बन गया। इस मठ के संबंध में न्यासधारी / महंती के बिंदु पर चार व्यक्तियों द्वारा अपना दावा प्रस्तुत किया गया, यथा– 1. श्री परमानंद दास 2. श्री ब्रजेश मुनि 3. श्री गोपाल दास एवं 4. श्री शिवानंद दास। सभी संबंधित पक्षकारों ने अपने–अपने दावे के समर्थन तथा अपने विरोधियों के विषय में भी अपना पक्ष व दस्तावेज प्रस्तुत किया। सभी पक्षों को सुनने तथा संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व के आचार्यों द्वारा इस कबीर मठ की कितनी शाखायें हैं, की कोई सूचना महंत / न्यासधारी द्वारा नहीं दी गयी। सभी पक्षकारों द्वारा एक–दूसरे के विरूद्ध आरोप–प्रत्यारोप लगाये जाने लगा, तब यह तथ्य सामने आया कि मठ की कई शाखायें हैं। इस संबंध में पर्षद द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिया गया कि मठ से संबंधित शाखाओं की सूचना पर्षद को दी जाय। इस संबंध में शिवानंद दास द्वारा पन्द्रह तथा श्री ब्रजेश मुनि द्वारा 26 शाखाओं की सूचना उपलब्ध करायी गयी।

पर्षद को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा– 33 के अन्तर्गत अस्थायी न्यासधारी बनाये जाने की शक्ति दी गयी है। जहां न्यासी का पद रिक्त हो गया हो या कोई व्यक्ति सक्षम न्यासी बनने योग्य नहीं हो, जिसके संबंध में विलेख में प्रावधान हो या जहां पर न्यासी के बीच में विवाद हो।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए एक वर्ष के लिए अस्थायी न्यासधारी के रूप में श्री ब्रजेश मुनि की नियुक्ति की गयी थी और वह समय–सीमा समाप्त हो गयी है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियाँ में यह आवश्यक है कि अधिनियम की धारा– 32 के तहत उक्त मठ के कुशल संचालन हेतु एक योजना का निरूपण किया जाय और न्यास समिति का गठन किया जाय। चूंकि वर्तमान में न्यासी का पद रिक्त हो गया है और महंती का दावा करने वाले 04 व्यक्ति हैं। उनके दावे के संबंध में विभिन्न प्रकार के दस्तावेज समर्पित किये गये, जिसका निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा ही अधिनियम की धारा– 48 किया जाना संभव है, क्योंकि उक्त बिंदु के निर्धारण हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के साथ–साथ मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता होगी और विस्तृत सुनवायी भी आवश्यक होगा। उसके लिए केवल दीवानी न्यायालय ही समक्ष है और उपरोक्त सभी चारों व्यक्ति / दावेदार द्वारा महंत / न्यासी दावा करने वाले यह भी प्रार्थना करते हैं कि उक्त मठ के विगत 04 महंतों की हत्या की जा चुकी है और मठ की संपत्ति को लेकर हमेशा विवाद महंतों के बीच रहा है। अतएव एक न्यास समिति का गठन किया जाय। उपरोक्त सभी दावेदारों द्वारा न्यास समिति गठन किये जाने के संबंध में नामों का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया।

उपरोक्त परिस्थितियों सभी तथ्यों पर विचारोपरांत सभी पक्षों को सुनने के पश्चात् पर्षद के आदेश दिनांक– 21/04/2022 में निर्णय लिया गया कि इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु ग्यारह सदस्यीय अस्थायी न्यास समिति का गठन किया जाय एवं श्री ब्रजेश मुनि उक्त कबीर पंथी मठ, फतुहां का संरक्षक नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें अधिकृत किया जाता है कि मठ के अंदर सभी प्रकार के धार्मिक उत्सव का आयोजन उनके निर्देश में ही होगा और ऐसे आयोजन में व्यय होने वाली अनुमानिक राशि का, आयोजन के पन्द्रह दिन पूर्व न्यास समिति को प्रस्ताव देंगे, जिस पर विचारोपरांत न्यास समिति आवश्यकतानुसार राशि आयोजन हेतु भुगतान करेगी एवं संरक्षक को अधिकृत किया जाता है कि उन्होंने अपने पत्र दि०– 01/10/2021 में जिन 26 शाखाओं का उल्लेख किया है और उन शाखाओं में कुल कितनी भूमि है, उन शाखाओं में वर्तमान प्रबंधन एवं व्यवस्था किस व्यक्ति द्वारा की जा रही है, उसकी सूची दो माह के भीतर समर्पित करें और यदि किसी शाखा में कोई साधु या प्रबंधक नहीं है, तो कबीर मठ के साधु या प्रबंधक को नियुक्त कर प्रबंधन का दायित्व प्रदान कर, इसकी सूचना पर्षद को उपलब्ध करावें। संरक्षक, न्यास समिति की बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं तथा समिति अपनी बैठक के निर्णय से संरक्षक को अवगत करायेगी। समिति के आय–व्यय के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रहेगा, परंतु फतुहां मठ तथा अन्य शाखाओं के विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय का संकलन, संरक्षण एवं व्यवस्था, न्यास समिति द्वारा ही की जायेगी और न्यास समिति उसके लिए पर्याप्त रूप से रजिस्टर, बैंक खाता आदि संरक्षित करेगी और बैंक खाता का संचालन तीन व्यक्तियों, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के नाम से खोला जायेगा, जिसकी राशि की निकासी, उपरोक्त में कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा की जायेगी, जिनमें से कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर आवश्यक होगा। फतुहां मठ की ऐसी शाखा जो स्वतंत्र रूप से पर्षद में निबंधित है, उस पर फतुहां मठ का नियंत्रण नहीं होगा।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 21/04/2022 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए **आचार्य गद्दी कबीरपंथी मठ, फतुहां, दरियापुर, जिला– पटना** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "**आचार्य गद्दी कबीरपंथी मठ न्यास योजना, फतुहां, दरियापुर, जिला– पटना**" होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "**आचार्य गद्दी कबीरपंथी मठ न्यास समिति, फतुहां, दरियापुर, जिला– पटना**" जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन तीन सदस्यों (अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा, जिसमें एक सदस्य के रूप में कोषाध्यक्ष रहेगें तथा अध्यक्ष या सचिव में से कोई एक सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किसी भी राशि की निकाशी की जा सकेगी।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण प्रतिवर्ष करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में अध्यक्ष के सभी दायित्व का निर्वहन कार्यकारी अध्यक्ष सम्पादित करेगें।

14. न्यास में अवस्थित सभी दुकानों, किरायेदारों तथा शाखा मठ, विद्यालय का किराया/आय की संग्रह का दायित्व सचिव एवं सह–सचिवों का होगा। ये न्यास की आय को संकलन कर कोषाध्यक्ष को हस्तगत करायेगें तथा कोषाध्यक्ष उपरोक्त राशि को न्यास के खाते में जमा करेगें। इस कार्य में पुरी पारदर्शिता स्थापित की जायेगी।

15. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

16. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से गठित की जाती हैः–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, जिला–पटना	– पदेन अध्यक्ष
2. श्री अरूण कुमार (से० नि० जिला न्यायाधीश)	– कार्यकारी अध्यक्ष
3. श्री संजय कुमार सिंह पिता– स्व० अवध किशोर सिंह	– सचिव
4. श्री शिवानंद दास	– सह–सचिव
5. श्री हृदयानंद झा	– सह–सचिव
6. श्री अनिल कुमार	– कोषाध्यक्ष
7. प्रो० संत हरीश दास	– सदस्य
8. श्री विवेक मुनि	– सदस्य
9. श्री बालेश्वर दास	– सदस्य
10. श्रीमति शारदा देवी, मा० पूर्व पार्षद	– सदस्य
11. थानाध्यक्ष, फतुहां, जिला– पटना	– सदस्य

पता– श्री कबीरपंथी मठ, फतुहां, दरियापुर, जिला– पटना।

उक्त आदेश के आलोक में "**आचार्य गद्दी कबीरपंथी मठ, फतुहां, दरियापुर, जिला– पटना**" के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

————————

11 नवम्बर 2022

सं0 2749——**श्री श्री नर्मदेश्वर महादेव जी मंदिर, ग्राम+पोस्ट– अखलासपुर, थाना– भभुआ, जिला– कैमूर (भभुआ)**, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0– 3768 है।

पर्षदीय आदेश दिनांक– 14/08/2007 द्वारा उक्त मंदिर की समुचित व्यवस्था एवं प्रबंधन हेतु ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी थे। पर्षद को यह सूचना प्राप्त हुयी कि उक्त न्यास समिति के सभी सदस्यों का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त मंदिर, मौजा– अखलासपुर, थाना नं०– 497, खाता सं०– 655, खेसरा सं०– 387, 389, 398, 422, 3000, 2389 एवं 2391, कुल क्षेत्रफल– 03 एकड़ 70 डीसमिल तथा मौजा– ईश्वरपुरा (इसरपुरा) में खाता सं०– 16, खेसरा सं०– 14, 18, कुल क्षेत्रफल– 88 डीसमिल, कुल लगभग 18 बीघा भूमि श्री नर्मदेश्वर महादेवजी, पार्वतीजी के नाम से राजस्व अभिलेख में अंकित है। उक्त भूमि के विषय में श्री शंकर दयाल ने निजी

न्यास के दावा के समर्थन में स्वत्व वाद सं०– 233/99, मा० सब जज– षष्टम, भभुआ के न्यायालय में समर्पित किया था, जिसमें सुनवायी के उपरांत उक्त भूमि एवं मंदिर के संबंध में श्री शंकर दयाल के दावा को निरस्त करते हुये दिनांक– 31/01/2006 को न्यास को सार्वजनिक घोषित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री दयाल के द्वारा समर्पित किया गया अपील को भी मा० न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। ग्रामीणों दिनांक– 03/02/2021 को एक बैठक आयोजित कर न्यास समिति किये जाने हेतु नामों का प्रस्ताव दिया गया, जिसका चरित्र–सत्यापन भी प्राप्त हो चुका है।

उपरोक्त परिस्थितियों में उक्त श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर एवं मंदिर की भूमि की सुरक्षा तथा समुचित प्रबंधन हेतु एक योजना का निरूपण करते हुये इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया जाता है।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 28/09/2022 के आलोक में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री श्री नर्मदेश्वर महादेव जी मंदिर, ग्राम+पोस्ट– अखलासपुर, थाना– भभुआ, जिला– कैमूर (भभुआ)** की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **श्री श्री नर्मदेश्वर महादेव जी मंदिर न्यास योजना, ग्राम+पोस्ट– अखलासपुर, थाना– भभुआ, जिला– कैमूर (भभुआ)** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री श्री नर्मदेश्वर महादेव जी मंदिर न्यास समिति, ग्राम+पोस्ट– अखलासपुर, थाना– भभुआ, जिला– कैमूर (भभुआ)''** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास/मठ/मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी/सेवायत/महंत/न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक न्यास समिति 05 वर्ष हेतु गठित की जाती है:–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, भभूआ–	पदेन अध्यक्ष।
2. श्री राजा प्रसाद प्रजापति–	कार्यकारी अध्यक्ष
3. श्री अशोक कुमार गुप्ता–	सचिव
4. श्री राम प्रवेश पाल–	कोषाध्यक्ष
5. श्री सत्येन्द्र प्रसाद गौंड–	सदस्य
6. श्री श्रवण राम–	सदस्य
7. श्री राहुल तिवारी–	सदस्य
8. श्री महेन्द्र बैठा–	सदस्य
9. श्री शंभू प्रसाद–	सदस्य
10. श्री राम सुरेश राम–	सदस्य

क्रम सं०– 02 से 10 का पता– श्री श्री नर्मदेश्वर महादेव जी वगैरह मंदिर, ग्राम+पोस्ट– अखलासपुर, थाना– भभुआ, जिला– कैमूर (भभुआ)।

उक्त आदेश के आलोक में **''श्री श्री नर्मदेश्वर महादेव जी मंदिर, ग्राम+पोस्ट– अखलासपुर, थाना– भभुआ, जिला– कैमूर (भभुआ)''** के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन/ विक्रय / पट्टा / लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

---

1 जुलाई 2022

सं0 1162––**श्री शिव मंदिर, (महादेव मठ) ग्राम–विशनपुर, जमालपुर, पो0– सुभई, जिला– वैशाली** पर्षद में सार्वजनिक धार्मिक न्यास के रूप में निबंधित है, जिसकी निबंधन सं0– 4623 है। पर्षद के विस्तृत आदेश दिनांक 30.05.2022 के आलोक में उपलब्ध सी0 एस0 और आर0 एस0 खतियान से स्पष्ट है कि पूर्व में खाता संख्या– 456 और 464 का 07 ए0 44 डी0 जमीन वर्ष 1895 में तत्कालीन रैयत मुल्करानी कुंअर थी, जिनके द्वारा उक्त भूमि को शिवोत्तर के रूप में दान देते हुए गुरू जयनारायण पुरी के नाम का इन्द्राज है, जो वर्त्तमान में खाता संख्या–159 नरसिंह पुरी शिष्य जयनारायण पुरी कुल एरिया 04 ए0 97 डी0 के रूप में इन्द्रराज हो गया है और उक्त नरसिंह पुरी का भी स्वर्गवास लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुका है। पर्षद के समक्ष उक्त महंत नरसिंह पुरी चेला रामेश्वर पुरी, बैकुण्ठवासी द्वारा दिनांक–23.03.1955 को बाबू सुखलाल ठाकुर के पक्ष में खाता संख्या–464, खेसरा–1909 तथा खेसरा संख्या–1911 का 09 क0 17 धुर जमीन बिक्रय किया है। आगे आरोप है कि वर्त्तमान में रामेश्वर पुरी नामक फर्जी वयक्ति द्वारा अपने पिता का नाम नरसिंह पुरी अंकित करते हुए दिनांक–29.04.2016 को मंदिर की खाता संख्या–159, खेसरा–2922 का 22 डी0 जमीन श्री कमल राय के नाम बिक्रय किया है तथा उपरोक्त दस्तावेज 23.03.1955 जो नरसिंह पुरी द्वारा विक्रय किया गया था, उसमें उल्लेख किया है कि रामेश्वर पुरी बैकुण्ठवासी और वर्त्तमान विक्रय विलेख दिनांक–29.04.2016 को फर्जी व्यक्ति रामेश्वर पुरी पिता का नाम नरसिंह पुरी द्वारा किया गया । आरोप के संबंध में उक्त रामेश्वर पुरी को निबंधित डाक पत्रांक–386, दिनांक–02.05.2022 को आज की तिथि निर्धारित करते हुए भेजा गया था, परन्तु पर्षद के समक्ष उपस्थित नहीं हुये।

पर्षद के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त भूमि पर महंत रामेश्वर पुरी के नाम का इन्द्राज किया है, जबकि दिनांक–23.03.1955 में निबंधित बिक्रय–पत्र से स्पष्ट उल्लेख है कि बिक्रेता का नाम नरसिंह पुरी चेला महंत रामेश्वर पुरी जो स्पष्ट करता है कि रामेश्वर पुरी का स्वर्गवास हो चुका है। पुनः रामेश्वर दास के नाम पर एक षडयंत्र के तहत इन्द्राज प्रतीत होता है और उसी षडयंत्र का फायदा उठाकर फर्जी व्यक्ति नरसिंह पुरी द्वारा मठ की भूमि को बेचने का प्रयास किया जाता है।

ग्रामीणों द्वारा आमसभा दिनांक–01.08.2021 को कर उक्त मंदिर और मंदिर की व्यवस्था, राग–भोग, प्रबंधन हेतु 11 व्यक्तियों के नामों का प्रस्ताव पर्षद को दिनांक–29.05.2022 को उपलब्ध कराया है।

कार्यालय द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों के नामों का चरित्र सत्यापन करने हेतु संबंधित थाना को 02.05.2022 को पत्र लिखा गया परन्तु थाना द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त है और चूंकि फर्जी व्यक्ति द्वारा मंदिर की भूमि का अवैध रूप से बिक्रय किया जा रहा है जो भविष्य में कई तरह के दिवानी और आपराधिक मुकदमा को जन्म देगा।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्तावित नामों की न्यास समिति का गठन अस्थायी रूप से 01 वर्ष के लिए किया जाता है तथा इसकी व्यवस्था हेतु एक योजना का निरूपण किया जाता है।

अतः मैं,अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा– 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए **''श्री शिव मंदिर, (महादेव मठ) ग्राम–विशनपुर, जमालपुर, पो0– सुभई, जिला– वैशाली''**के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **श्री शिव मंदिर, सुभई जिला– वैशाली** ''होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री शिव मंदिर, (महादेव मठ) ग्राम–विशनपुर, जमालपुर, पो0– सुभई, जिला– वैशाली''** होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर (यदि पूर्व से न्यास के नाम से खाता संचालित हो, तो उसमें) जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।न्यास के खाता का संचालन कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

4. मठ/मंदिर परिसर में जगह–जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

5. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

6. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

7. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

8. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

9. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

11. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

12. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

13. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

14. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

15. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः–

1. अंचलाधिकारी, हाजीपुर – अध्यक्ष।
2. श्री प्रमोद कुमार शर्मा – उपाध्यक्ष।
   (अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्रवाई करने के लिए इन्हें अधिकृत किया जाता है।)
3. श्री देवेन्द्र कुमार – सचिव।
4. श्री सुबोध कुमार – कोषाध्यक्ष।
5. श्री सुमन्त शर्मा – सदस्य।
6. श्री मनोज कुमार – सदस्य।
7. श्री सुमित कुमार – सदस्य।
8. प्रियंका कुमारी – सदस्य।
9. श्री राम सुरेश सिंह – सदस्य।
10. श्री मनराज राय – सदस्य।
11. श्री रामजी सिंह – सदस्य।

सभी ग्राम–विशनपुर जमालपुर, पो0–सुमई, जिला– वैशाली।

न्यास समिति को निर्देश दिया जाता है कि मंदिर के नाम से बैंक खाता खोलेंगे। तथा मंदिर की भूमि की बन्दोबस्ती के लिए उक्त न्यास समिति को प्राधिकृत किया जाता है तथा किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का अवरोध किया जाता है तो उसके विरूद्ध थाना द्वाराशख्त कार्रवाई की जाए।

उपरोक्त वर्णित अस्थायी न्यास समिति का कार्य–काल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष का होगा। न्यास समिति का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर आगे विस्तार किया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि समिति के अध्यक्ष, अँचल पदाधिकारी प्रशासनिक पदाधिकारी है, यदि वह किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाते है तो बैठक आदि की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा संचालित कर कार्रवाई की जायेगी तथा मन्दिर की आय–व्यय आदि का संचालन राष्ट्रीयकृत बैंक में मन्दिर के नाम खाता खोलकर कोषाध्यक्ष तथा उनके साथ सचिव या अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

उक्त आदेश के आलोक में राजस्व अभिलेख में संबंधित भूमि "श्री शिव मंदिर, (महादेव मठ) ग्राम–विशनपुर, जमालपुर, पो0– सुभई, जिला– वैशाली"के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/विक्रय/पट्टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

---

3 फरवरी 2023

सं0 3799––**श्री भगवती सीता स्थान एवं रत्नेश्वर महादेव मंदिर, बक्शी मोहल्ला, सीता घाट, पटना–08,** बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है। इसकी निबंधन सं0–4668/22 है।

उक्त न्यास की व्यवस्था पुर्व में स्थानीय आजीवन सदस्यों द्वारा चयनित प्रबंधन समिति के माध्यम से किया जाता रहा है। किवदंती है कि माँ सीता के चरण विवाहोपरांत अयोध्या प्रस्थान के क्रम में इस स्थान पर पड़े थे। रात्रि होने के कारण माँ की डोली यहां रूकी थी। मंदिर प्लॉट–1751, 1752, 1864, सीट–218, कुल रकबा–14.01 डीसमिल (लगभग 4 कट्ठा) भूमि पर अवस्थित है, जिसका हो० सं०–212, सर्किल–113 है। स्थानीय निवासियों द्वारा एक आम सभा दिनांक–18/12/2022 को मंदिर प्रांगण में आहुत की गयी। इसमें ग्यारह व्यक्तियों की न्यास समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उक्त नामों पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गयी।

उपरोक्त परिस्थिति में प्रस्तावित नामों पर विचार करते हुये बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–32 के अन्तर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी की अध्यक्षता में न्यास समिति का गठन एक वर्ष हेतु करने तथा इसके कार्यान्वयन हेतु एक योजना का निरूपण करने का निर्णय लिया गया।

अतः पर्षदीय आदेश दिनांक– 03/01/2023 द्वारा अनुमोदन के पश्चात बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा– 32 में एवं धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0– 43 (द) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए का प्रयोग करते हुए **श्री भगवती सीता स्थान एवं रत्नेश्वर महादेव मंदिर, बक्शी मोहल्ला, सीता घाट, पटना– 08** के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम "**श्री भगवती सीता स्थान एवं रत्नेश्वर महादेव मंदिर न्यास योजना, बक्शी मोहल्ला, सीता घाट, पटना– 08**" होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम "**श्री भगवती सीता स्थान एवं रत्नेश्वर महादेव मंदिर न्यास समिति, बक्शी मोहल्ला, सीता घाट, पटना– 08**" जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ–साथ पूजा–अर्चना, राग–भोग, अतिथि–सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिश्चित करेगी।

3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक् संधारण किया जायेगा और राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा तथा आवश्यकतानुसार राशि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. **न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।**

5. मठ परिसर में जगह–जगह भेंट–पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राशि को बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मंदिर परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और मंदिर की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ / मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि मठ / मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10. न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों, धारा– 59, 60 एवं 70 का अनुपालन करते हुए बजट, आय–व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हों, तो उनके दायित्वों का निर्वहन उपाध्यक्ष करेंगे।

14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों / निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय–व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मंदिर के हित में आवश्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. गोवंश एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम, 1960 (पी०सी०ए०) की धारा– 11, भारतीय दण्ड विधान (I.P.C.) की धारा– 428, 429 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। न्यास / मठ / मंदिर परिसर में रहने वाले पशुओं (गोवंश / गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना / भोजन नहीं देना / ऐसा कोई कृत्य, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः करना, जिसका उद्देश्य ''पशु की क्रुरता या वध'' होता हो या उक्त कार्यों को बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई कृत्य न्यासधारी / सेवायत / महंत / न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

18. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:–

1. अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, जिला– पटना – पदेन अध्यक्ष
2. श्री महावीर प्रसाद सर्राफ पिता– स्व० साधुलाल, बाकरगंज, पटना – कार्यकारी अध्यक्ष
3. श्री रतनदीप प्रसाद पिता– स्व० रामदयाल राय, पानी टंकी रोड, खाजेकलां, पटना – उपाध्यक्ष
4. श्री प्रभात बहादुर माथुर पिता– स्व० रघुराज बहादुर माथुर, सिढ़ी घाट, पटना सिटी – सचिव
5. श्री इन्द्रबिहारी प्रसाद पिता– स्व० वृंदावन बिहारी प्रसाद, बक्सी मोहल्ला, पटना सिटी – कोषाध्यक्ष
6. प्रो० डॉ० विनय कृष्ण प्रसाद पिता– स्व० गौरीशंकर प्रसाद, खाजेकलां सब्जी मंडी, पटना – सदस्य
7. श्री अमित राज माथुर पिता– स्व० स्वतत्र कुमार माथुर, गुरहट्टा, पटना सिटी, पटना – सदस्य
8. श्री नितेश कुमार सिन्हा पिता– स्व० सरयुग प्रसाद सिन्हा, बक्सी मोहल्ला, गुरहट्टा, पटना – सदस्य
9. श्री शत्रुघ्न यादव पिता– स्व० अशर्फी राय, बेगमा की हवेली, पटना सिटी, पटना – सदस्य
10. श्री नितेश तिवारी पिता– स्व० हरीश तिवारी, बक्सी मोहल्ला, पटना सिटी, पटना – सदस्य
11. श्री सचिन शर्मा पिता– स्व० श्यामशंकर शर्मा, राय जयकृष्ण रोड, गुरहट्टा, पटना सिटी – सदस्य

उक्त आदेश के आलोक में **श्री भगवती सीता स्थान एवं रत्नेश्वर महादेव मंदिर, बक्सी मोहल्ला, सीता घाट, पटना–** 08 के नाम में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः–न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की किसी भी सम्पत्ति/ भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/ विक्रय/पट्टा/ लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष।

सूचना

No. 685––I, Dhiraj Kumar Singh S/o Sitaram Singh, R/o Charkhambha Gali, Shivganj Near Budhiya lodge, ward No-23 Arah Bhojpur Arah-802301 (Bihar) do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No.-1471/15-05-23 that my name is written in my son's Piyush Kumar CBSE class Xth Admid Card, Migration, Marksheet, Provisional and School Transfer Certificate as Dheeraj Kumar Singh which is wrong. My correct name as per Aadhar No.-809288902436 is Dhiraj Kumar Singh. And from now I will be known as Dhiraj Kumar Singh for all future purposes.

Dhiraj Kumar Singh.

No. 686––I, Puja singh w/o Dhiraj Kumar Singh, R/o Charkhambha Gali, Shivganj Near Budhiya lodge, ward No-23 Arah Bhojpur Arah-802301 (Bihar) do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No- 1474/15-05-23 that my name is written in my son's Piyush Kumar CBSE class Xth Admit Card, Migration, marksheet, Provisional and School Transfer Certificate as Puja Devi which is wrong my correct name as per Aadhar No-923861296997 is Puja Singh and from now I will be known as Puja Singh for all future purposes.

Puja singh.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 13—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)–01–11/2023–**2980 अनु0**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

———

संकल्प

6 जून 2023

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री अहमद हुसैन, तत्का0 अवर निबंधक, पकड़ीदयाल (पूर्वी चम्पारण) सम्प्रति–निलंबित के विरुद्ध अपर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में आहुत विभागीय बैठक का विडियो रिकॉडिंग कर वायरल कर अपर मुख्य सचिव के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है। दिनांक–10.02.2023 को विडियो वायरल की तकनिकी जॉच अवर सचिव एवं आई0टी0 सलाहकार बिपार्ड द्वारा की गयी है। अवर निबंधक द्वारा अपने समनपुरा स्थित आवास से ही विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में भाग लेते रहे हैं। विभागीय आदेश के आलोक में कार्यस्थल पकड़ीदयाल में उपस्थित रहना था एवं उन्हें कार्यालय से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा न कर केवल राजस्व हित में विभाग के आदेश का उल्लंघन किया गया है बल्कि पटना स्थित समनपुरा आवास से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़कर मुख्यालय के साथ धोखा देने का प्रयास किया गया है। उनका यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता, वरीय पदाधिकारी के विरुद्ध षड्यंत्र और अनैतिकता को प्रमाणित करता है।

2. श्री हुसैन द्वारा बिना अनुमति का विभागीय बैठक का विडियो रिकॉडिंग कर वायरल कराया जाना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–7, 8, 10 एवं 12 का उल्लंघन के साथ–साथ Official Secret Act, 1923 की धारा–5(क एवं ग), IT Act 2000 की धारा–43(बी0,जी0 एवं जे0), धारा–66 सह पठित धारा–66(बी0), 66(डी0), 67, 72 एवं 84(बी0) के प्रावधानों के प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट है।

3. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री हुसैन के विरूद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों की जॉच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री शैलेन्द्र नाथ, उप सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, संदलपुर रोड, कुम्हरार, पटना–06 को संचालन पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8 (ए) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री हुसैन से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
निरंजन कुमार, उप–सचिव।

———

सं0 8/आ0 (राज0 नि0)–01–24/2023–**2979**

———

6 जून 2023

चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री प्रणव शेखर, तत्का0 अवर निबंधक, बाबुबरही (मधुबनी) सम्प्रति–निलंबित के विरुद्ध अपर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में आहुत विभागीय बैठक का विडियो रिकॉडिंग कर वायरल कर अपर मुख्य सचिव के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है। दिनांक–20.02.2023 को विडियो वायरल की तकनिकी जॉच

अवर सचिव एवं आई0टी0 सलाहकार बिपार्ड द्वारा की गयी है। वायरल विडियो एवं अवर निबंधक कक्ष की हकीकत एवं उनके बताये हुए स्थान, वायरल विडियो के बाद उनके मोबाईल का टूट जाना तथा टूटे हुए मोबाईल के अवशेष जॉच दल को सुपुर्द नहीं करना, संदेह उत्पन्न होता है। उनका यह कृत्य घोर अनुशासनहीनता, वरीय पदाधिकारी के विरुद्ध षड्यंत्र और अनैतिकता को प्रमाणित करता है।

2. श्री शेखर द्वारा बिना अनुमति का विभागीय बैठक का विडियो रिकॉडिंग कर वायरल कराया जाना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम–7, 8, 10 एवं 12 का उल्लंघन के साथ–साथ Official Secret Act, 1923 की धारा–5(क एवं ग), IT Act 2000 की धारा–43(बी0,जी0 एवं जे0), धारा–66 सह पठित धारा–66(बी0), 66(डी0), 67, 72 एवं 84(बी0) के प्रावधानों के प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में विनिर्दिष्ट है।

3. अतएव बिहार के राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि श्री शेखर के विरूद्ध संलग्न विनिर्दिष्ट आरोपों की जॉच के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी जाय। इस विभागीय कार्यवाही के लिए श्री शैलेन्द्र नाथ, उप सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, संदलपुर रोड, कुम्हरार, पटना–06 को संचालन पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी, प्रषाखा–8 (ए) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. श्री शेखर से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव वयान के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।

आदेश :–आदेश दिया जाता है कि संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति आरोप पत्र के साथ संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपी पदाधिकारी को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
निरंजन कुमार, उप–सचिव।

———————

सं0 6 एस०एस०(11)02/2016–2150

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

———————

संकल्प

29 मई 2023

विषय :–कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को देय विशेष भत्ता को दिनांक–09.03.2019 के प्रभाव से पुनरीक्षित करने की स्वीकृति के संबंध में।

विभागीय पत्रांक–68, दिनांक–07.01.2019 के द्वारा कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के वेतन सेवाशर्त निर्धारण में 5000/– (पॉंच हजार रुपये) प्रतिमाह विशेष भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय,परिनियम 2020 के अध्याय–IV की कंडिका–4.2 में उपबंधित है कि ''कुलपति को वही वेतन प्राप्त होगा, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR)/राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित हो।'' भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली के पत्रांक–1(10)/2018–Per. IV, दिनांक–13.03.2019 के द्वारा निदेशकों का विशेष भत्ता पुनरीक्षित कर रुपये 11,250/–किया गया है। साथ ही कृषि विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–5511 दिनांक–14.09.2021 के द्वारा कुलपति का विशेष भत्ता रुपये 11,250/–अनुमान्य किया गया है।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति को दिनांक 09.03.2019 के प्रभाव से रुपये 11,250/–विशेष भत्ता पुनरीक्षित किया जाता है।

2. उक्त पुनरीक्षित विशेष भत्ता पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
हिमांशु कुमार राय, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 13—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in